अंक 33 । संख्या 10 । अक्टूबर 2026

सर्वे भवन्तु सुखिनः

मानव अधिकार

न्यूजलेटर

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का मासिक प्रकाशन

परामर्श

वैधानिक पूर्ण आयोग की बैठक

रिपोर्ट

वैश्विक दक्षिण के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के लिए एनएचआरसी-आईटीईसी कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम

गांधीनगर, गुजरात में जन सुनवाई एवं शिविर बैठक



सुर्खियाँ

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य पर एनएचआरसी, भारत की पहलें

लेख

उपचार से आगे: मानसिक स्वास्थ्य को मूलभूत मानव अधिकार के रूप में पुनः स्थापित करना

मानव अधिकार

न्यूजलेटर

अंक 33 । संख्या 10 । अक्टूबर 2026

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

अध्यक्ष
न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन

सदस्य
न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि
श्रीमती विजया भारती सयानी
श्री प्रियंक कानूनगो

महासचिव
श्री पियूष गोयल

संपादक
जैमिनि कुमार श्रीवास्तव
उपनिदेशक (मीडिया एवं संचार), एनएचआरसी

यह सामग्री आयोग की वेबसाइट www.nhrc.nic.in पर भी उपलब्ध है। गैर-सरकारी तथा अन्य संगठन आयोग के मानव अधिकार न्यूज़लेटर में प्रकाशित लेखों के व्यापक प्रसार हेतु आयोग का आभार मानते हुए पुनः प्रकाशित कर सकते हैं।



राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन वैधानिक पूर्ण आयोग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए



राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान के अध्यक्ष श्री एंड्रयू क्रिस्टोफेल निसेन और केन्या के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान की अध्यक्ष सुश्री क्लैरिस अवूर ओगांगा के साथ, एनएचआरसी, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि, श्रीमती विजया भारती सयानी तथा महासचिव श्री पियूष गोयल की उपस्थिति में वैश्विक दक्षिण के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के लिए आयोजित पाँचवें एनएचआरसी आईटीईसी कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ करने हेतु पारंपरिक दीप प्रज्वलित करते हुए

विषय-वस्तु

मासिक विवरण

1 महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की कलम से

परामर्श

2 वैधानिक पूर्ण आयोग की बैठक

रिपोर्ट

5 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के लिए वैश्विक दक्षिण के देशों हेतु (एनएचआरसी आईटीईसी) कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम

8 गुजरात के गांधीनगर में जन सुनवाई और शिविर का आयोजन

सुर्खियाँ

10 स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर एनएचआरसी, भारत की पहल

लेख

11 उपचार से आगे: मानसिक स्वास्थ्य को मूलभूत मानव अधिकार के रूप में पुनः स्थापित करना

महत्वपूर्ण हस्तक्षेप

13 स्वत: संज्ञान

14 राहत के लिए सिफारिशें

14 पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान

15 केस स्टडी

16 मौके पर पूछताछ

क्षेत्रीय दौरे

16 एनएचआरसी, भारत सदस्य द्वारा किए गए दौरे

17 विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनिटर

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

19 ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप

21 सहयोगात्मक जागरूकता पहल

22 ज्ञानार्जन दौरे

24 **अंतरराष्ट्रीय मंच पर एनएचआरसी, भारत**

24 **राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार**

26 **संक्षेप में समाचार**

27 **आगामी कार्यक्रम**

27 **सितंबर 2026 में प्राप्त शिकायतें**

28 **एनएचआरसी, भारत के 33 वर्षों का एक संक्षिप्त विवरण**

www.nhrc.nic.in
@India_NHRC
@NationalHumanRightsCommission

RNI No. 61957/95

मासिक विवरण

महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की कलम से

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत द्वारा समर्पित सेवा के 33 वर्ष पूरे होने पर, हमारे मासिक न्यूज़लेटर का यह अंक हमारी अमिट विरासत और हाल के महीनों में किए गए गतिशील, बहुआयामी कार्यों पर प्रकाश डालता है। तीन दशकों से अधिक समय से, आयोग ने निरंतर मानवीय गरिमा की रक्षा करने, व्यवस्थागत कमियों को दूर करने और प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास किया है।

हमारी संस्थागत चर्चाएँ वैधानिक तंत्रों पर आधारित हैं, जैसा कि हाल ही में हुई वैधानिक पूर्ण आयोग की बैठक में प्रदर्शित हुआ, जहाँ राष्ट्रव्यापी शिकायत निवारण को मजबूत करने के लिए प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेपों, व्यवस्थागत चुनौतियों और रणनीतिक दिशाओं का गहन मूल्यांकन किया गया।

घरेलू सीमाओं से परे अपनी उपस्थिति का विस्तार करते हुए, आयोग ने वैश्विक दक्षिण के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) के लिए सफलतापूर्वक एनएचआरसी आईटीईसी कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। यह पहल विकासशील देशों में अतंरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और मानव अधिकार ढाँचों को मजबूत करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जबकि अतंरराष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी सक्रिय भागीदारी वैश्विक मानव अधिकार समर्थन में एनएचआरसी भारत की बढ़ती भूमिका को सुदृढ़ करती है।

जमीनी स्तर पर प्रत्यक्ष भागीदारी हमारी मुहिम का आधारशिला बनी हुई है। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित जन सुनवाई और शिविर बैठक ने मौके पर ही शिकायतों के निवारण के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया, जिससे प्रभावित व्यक्तियों को त्वरित न्याय और तत्काल राहत सुनिश्चित हुई।

इसके अलावा, आयोग के सदस्यों, विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनिटर्स द्वारा किए गए स्वतः संज्ञान, मौके पर जांच और व्यापक क्षेत्रीय दौरे जैसे सक्रिय उपायों के माध्यम से, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) मानव अधिकार उल्लंघनों को सक्रिय रूप से संबोधित करता है, प्रशासनिक जवाबदेही लागू करता है और पीड़ितों के लिए आवश्यक राहत और मुआवजा सुनिश्चित करता है।

इस अंक में मानव गरिमा के एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर उपेक्षित पहलू स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य तथा आयोग का कार्य पर प्रकाश डाला गया है। मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में प्रकाशित लेख "उपचार से परे: मानसिक स्वास्थ्य को एक मूलभूत मानव अधिकार के रूप में पुनः स्थापित करना" एक मौलिक प्रतिमान परिवर्तन का आह्वान करता है। यह इस बात पर जोर देता है कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को नैदानिक उपचार से आगे बढ़कर एक अंतर्निहित मानव अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, जो सामाजिक कलंक, भेदभाव और उपेक्षा से मुक्त हो।

मानव अधिकार संरक्षण के हमारे दायित्व के साथ-साथ, मानव अधिकारों के प्रति सजग समाज के निर्माण के लिए क्षमता निर्माण और सामुदायिक संपर्क भी आवश्यक हैं। हमारे ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रमों, सहयोगात्मक जागरूकता पहलों और ज्ञानार्जन दौरों के माध्यम से, हम छात्रों और शोधकर्ताओं को मानव अधिकार सिद्धांतों की गहरी समझ विकसित करने के लिए सशक्त बनाना जारी रखते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोगों (एसएचआरसी) से प्राप्त अद्यतन जानकारी, संक्षिप्त समाचार, सितंबर 2026 में दर्ज शिकायतों की समीक्षा और आगामी कार्यक्रमों की झलक के साथ, यह अंक शासन के सभी स्तरों पर हमारे सामूहिक प्रयासों को उजागर करता है।

अपने 33 वर्षों के सफर पर विचार करते हुए, एनएचआरसी सभी के लिए न्याय, जवाबदेही और आशा की किरण बनने के अपने संकल्प पर अडिग है। हमें आशा है कि न्यूज़लेटर का यह अंक हमारे सभी पाठकों के लिए रुचिकर और ज्ञानवर्धक साबित होगा।

पियूष गोयल
महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

परामर्श

वैधानिक पूर्ण आयोग की बैठक

समाज के कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्गों की चिंताओं के प्रति अधिक एकीकृत और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक और संवैधानिक निकायों के बीच समन्वय को मजबूत करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से, एनएचआरसी,भारत ने 22 सितंबर 2026 को एक वैधानिक पूर्ण आयोग की बैठक आयोजित की, जिसमें आयोग के सात मानद सदस्यों के प्रतिनिधियों को सामान्य चिंताओं के क्षेत्रों, संस्थागत सहयोग, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और मानव अधिकार संरक्षण के लिए समन्वित दृष्टिकोणों पर विचार-विमर्श करने के लिए एकत्रित किया गया।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने आयोगों के बीच सहयोगात्मक कार्य करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष एनएचआरसी के पदेन सदस्य हैं और इसलिए इसके अंग हैं। ये आयोग मिलकर समाज के विभिन्न वर्गों के मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए सार्थक कार्य कर सकते हैं।

न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने सभी राष्ट्रीय आयोगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यदि अन्य आयोगों के पास मामलों की जांच के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तो एनएचआरसी उन्हें सहायता प्रदान करने पर विचार कर सकता है। अपने समापन भाषण में उन्होंने भीख मांगने वाली मानसिक रूप से बीमार महिलाओं के पुनर्वास उपायों की कमी पर चिंता व्यक्त की, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

उन्होंने विश्वभर में दिव्यांगजनों (PwDs) की एक बड़ी आबादी का उल्लेख किया और उनके कल्याण के लिए बनाई गई नीतियों की समीक्षा करने और कमियों की पहचान करने की आवश्यकता पर बल दिया। एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष ने दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा के अभाव और बीमा कंपनियों द्वारा उन्हें बीमा कवरेज देने से इनकार या अनिच्छा पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अंतरधार्मिक संवाद और समन्वित अनुसंधान, विशेष रूप से परस्पर संबंधित क्षेत्रों में, के सुझाव की सराहना की।

इससे पहले, बैठक का एजेंडा निर्धारित करते हुए, एनएचआरसी के महासचिव श्री पीयूष गोयल ने देश के अद्वितीय संस्थागत मानव अधिकार संरक्षण ढांचे का संक्षिप्त परिचय दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन संस्थानों के बीच संवाद विभिन्न आयोगों के बीच तालमेल और सहयोग स्थापित करने में सहायक है, ताकि बंधुआ मजदूरों, बुजुर्गों और हाथ से मैला ढोने वालों सहित कमजोर और वंचित समुदायों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। यह संवाद क्षमता निर्माण और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए भी मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

एनएचआरसी के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार ने पिछले वर्ष आयोग द्वारा की गई गतिविधियों का सारांश प्रस्तुत किया।

बैठक में कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए एकीकृत दृष्टिकोण और सहयोगात्मक प्रयासों के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रतिभागियों ने संयुक्त तथ्य-खोज प्रयासों,



▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन, आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि, महासचिव श्री पीयूष गोयल तथा वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में वैधानिक पूर्ण आयोग की बैठक को संबोधित करते हुए

अनुसंधान, जागरूकता अभियानों और आउटरीच कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल दिया।

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष श्रीमती विजया के. राहटकर ने महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए एनसीडब्ल्यू द्वारा किए जा रहे कार्यों और विभिन्न जिलों में आयोजित जन सुनवाई सहित कई कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला, जिनमें महिलाओं की शिकायतों को सुनना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निपटान के अलावा, एनसीडब्ल्यू महिलाओं के कल्याण के लिए अनुसंधान, जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। उन्होंने आगे कहा कि एनसीडब्ल्यू केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सहयोग से मानव दुर्व्यापार विरोधी अभियान चला रहा है और विभिन्न संस्थानों के सहयोग से युवाओं के साथ मानव दुर्व्यापार विरोधी अभियान, यौन शोषण रोकथाम कार्यक्रम (पीओएसएच), यौन शोषण रोकथाम कार्यक्रम (पीओसीएसओ) और साइबर अपराध से संबंधित मुद्दों पर संवाद आयोजित कर रहा है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) की सदस्य श्रीमती किरण उमेश महाले ने भीख मांगने वाले लोगों, विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त लोगों की समस्याओं के बारे में बात की। उन्होंने मानसिक रूप से बीमार महिलाओं को उनके परिवारों द्वारा सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिए जाने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय आयोग उनके पुनर्वास के लिए एक नीति बनाने पर विचार करे और इसे लागू करने की सिफारिश सरकार को करे।

दिव्यांगजनों के लिए आयुक्त (सीपीडी) श्री एस. गोविंदराज ने कहा कि सीसीपीडी उन लोगों तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जो अब तक सुविधाओं से वंचित रहे हैं। उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए कल्याणकारी उपायों में मौजूद कमियों पर शोध की आवश्यकता पर बल दिया, जिन्हें उन्होंने भेदभाव का सामना करने वाली सबसे कमजोर आबादी में से एक बताया।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के सदस्य सचिव डॉ. संजीव शर्मा ने बाल बचाव एवं पुनर्वास के लिए एनसीपीसीआर द्वारा चलाए जा रहे अभियान पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 8,000 से अधिक बच्चों को बचाया और पुनर्वासित किया जा चुका है। उन्होंने क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने राज्य आयोगों को मजबूत करने के साथ-साथ वैधानिक आयोगों के सदस्यों की संयुक्त अन्वेषण और संयुक्त पीठ की बैठकों का सुझाव दिया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के सचिव श्री विवेक कुमार देवांगन ने कहा कि एनसीएससी ने एक ई-शिकायत निगरानी पोर्टल स्थापित किया है, जिसके परिणामस्वरूप शिकायतों का निवारण तेजी से हो रहा है। उन्होंने वैधानिक आयोग के सदस्यों के बीच बेहतर समन्वय, शैक्षणिक संस्थानों में क्षमता निर्माण और जागरूकता पर सहयोग, सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर संयुक्त अध्ययन और मापने योग्य उद्देश्यों के साथ संयुक्त कार्य योजनाओं की आवश्यकता पर बल दिया।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) के सचिव श्री सुचिंद्र मिश्रा ने एनएचआरसी के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक शिकायत निवारण प्रणालियों और क्षमता निर्माण के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने राज्य अल्पसंख्यक आयोगों की स्थापना के लिए राज्यों के साथ समन्वय पर भी बल दिया और बताया कि अब तक केवल 18 राज्यों में ही ऐसे आयोग हैं। उन्होंने अंतरधार्मिक संवादों के



▶ बाएँ से दाएँ: डॉ. संजीव शर्मा, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग; श्री एस. गोविंदराज, सीपीडी; श्रीमती किरण उमेश महल्ले, सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग; तथा श्रीमती विजया के. राहतकर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग

आयोजन के साथ-साथ समन्वित अनुसंधान और शिकायत निवारण के महत्व को भी रेखांकित किया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के उप सचिव श्री मनोहर एन. सुकोले ने स्वतः संज्ञान मामलों को दर्ज करने के महत्व पर प्रकाश डाला, साथ ही वास्तविक समय ट्रैकिंग प्रावधानों और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के साथ शिकायत निवारण मंच स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि आवर्ती मुद्दों और अतिव्यापी मामलों की पहचान की जा सके, जिसके लिए वैधानिक आयोग के सदस्यों के बीच अधिक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है।



▶ बाएं से दाएं: श्री विवेक कुमार देवांगन, सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग; श्री सुचिंद्र मिश्रा, सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग; श्री मनोहर एन. सुकोले, उप सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

एनएचआरसी, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि ने कहा कि हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि सभी मिलकर काम करें ताकि लाभ जमीनी स्तर तक पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि यद्यपि वैधानिक आयोग के सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, उनका उद्देश्य एक ही है। उन्होंने कहा कि मानक परिचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को सही ढंग से लागू करने पर वे प्रभावी हो सकती हैं और उन्होंने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी आयोगों में पर्याप्त कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया।



▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष, सदस्य एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष, सदस्य, प्रतिनिधि तथा मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन सशक्तिकरण (सीपीडी)

एनएचआरसी की महानिदेशक (अन्वेषण) डॉ. अनुपमा नीलेकर चंद्र ने कहा कि आयोग 30 सितंबर 2026 से शुरू होने वाले प्रत्येक माह के अंतिम बुधवार को अन्वेषण अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। समय के साथ इसका और विस्तार किया जाएगा।

बैठक का समापन भारत में मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए आयोगों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों के प्रति नवप्रवर्तित प्रतिबद्धता के साथ हुआ।

रिपोर्ट

वैश्विक दक्षिण के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के लिए एनएचआरसी-आईटीईसी कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम

मानव अधिकार संबंधी चुनौतियाँ लगातार जटिल होती जा रही हैं, जिसके चलते राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) को निरंतर अनुकूलन, सीखने और अपनी प्रतिक्रियाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। एनएचआरआई के बीच सहयोग और अनुभवों का आदान-प्रदान इस प्रकार के संस्थागत शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इसी पृष्ठभूमि में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से, वैश्विक दक्षिण के एनएचआरआई के लिए भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन करता है। मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने में एनएचआरसी, भारत के तीन दशकों से अधिक के अनुभव पर आधारित, छह दिवसीय यह कार्यक्रम भाग लेने वाले एनएचआरआई को मानव अधिकार क्षेत्र में ज्ञान, अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक साथ लाता है।

सितंबर 2026 में, आयोग ने नई दिल्ली में 5वें आईटीईसी कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम की मेजबानी की। यह कार्यक्रम प्रतिभागी राष्ट्रीय राष्ट्रीय संस्थानों (एनएचआरआई) की आवश्यकताओं और पिछले चार आईटीईसी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के दौरान प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर और अधिक सुव्यवस्थित किया गया था।

इस कार्यक्रम में अल्जीरिया, चिली, इक्वाडोर, इथियोपिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, केन्या, किर्गिस्तान, मलेशिया, ओमान, समोआ, दक्षिण अफ्रीका, ताजिकिस्तान और जिम्बाब्वे सहित 14 वैश्विक दक्षिण देशों के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) के 38 वरिष्ठ प्रतिनिधि एक साथ आए।

कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने सहभागी देशों के साथ भारत के दीर्घकालिक और उत्कृष्ट संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ज्ञान का आदान-प्रदान करना और समाज के कल्याण के लिए उसका उपयोग करना है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत में मानव कल्याण के साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेक विचारों को बढ़ावा देने और साझा करने की एक लंबी परंपरा रही है।

इस संदर्भ में, उन्होंने ऋग्वेद और यजुर्वेद के तैत्तिरीय उपनिषद में परिलक्षित प्राचीन भारतीय परंपराओं का उल्लेख किया। उन्होंने ज़ेनिया नामक प्राचीन यूनानी अवधारणा का भी जिक्र किया, जो मेज़बानों पर अपने मेहमानों का सम्मान करने और मेहमानों पर अपना ज्ञान साझा करने का दायित्व डालती है।



▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन वैश्विक दक्षिण के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के लिए आयोजित 5वें आईटीईसी, कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए।

अध्यक्ष ने प्रतिभागी देशों में मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए मौजूद विभिन्न संवैधानिक ढाँचों को स्वीकार किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रतिभागियों को यह कार्यक्रम ज्ञानवर्धक और सार्थक लगेगा, वे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के साथ एक स्थायी संबंध विकसित करेंगे और आयोग के साथ अपना जुड़ाव जारी रखेंगे।

बाद में, उद्घाटन के बाद पहले सत्र को संबोधित करते हुए, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में सामाजिक मूल्यों में हो रहे बदलाव मानव अधिकारों के लिए गंभीर चुनौतियां पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 100 वर्षों में परिवार की अवधारणा में इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है कि अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या परिवार का अर्थ केवल एक पुरुष और एक महिला ही है।



▶ वैश्विक दक्षिण के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के प्रतिभागियों का एक समूह

उन्होंने अभूतपूर्व तकनीकी संभावनाओं से उत्पन्न होने वाले कठिन नैतिक, कानूनी और मानव अधिकार संबंधी प्रश्नों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार, मृत्यु के बाद शरीर का निरंतर संरक्षण और विस्मृति का अधिकार या मिटा दिए जाने का अधिकार जैसे उभरते आयामों पर मानव जीवन के लिए चुनौतियों और संभावित लाभों दोनों के रूप में चर्चा की जा रही है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति तेजी से जटिल होते डिजिटल वातावरण में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त कर सकें और सोच-समझकर निर्णय ले सकें।

इन चुनौतियों के वैश्विक संदर्भ पर भी ज़ोर दिया गया। सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के 2025 ग्लोबल पीस इंडेक्स का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा कि दुनिया के 78 देश अपनी सीमाओं के बाहर सशस्त्र संघर्षों में उलझे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन संघर्षों के मानव सभ्यता और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर परिणाम हुए हैं, लगभग 122 मिलियन लोग शरणार्थी या आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगभग 20 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमानित नुकसान हुआ है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मानव अधिकारों का सही अर्थ और महत्व इसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में, उन्होंने कहा कि मानव अधिकारों पर आईटीईसी क्षमता निर्माण कार्यक्रम जैसे मंचों का महत्व और भी बढ़ जाता है।

इससे पहले, उद्घाटन सत्र में, एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि ने सहयोग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने विशेषकर ऐसे समय में जब अंतरराष्ट्रीय समुदाय एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, निरंतर मित्रता और सहयोग के महत्व को रेखांकित किया और शांति और संवाद की भावना को बनाए रखने की आवश्यकता को दोहराया। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए, उन्होंने कहा कि इस तरह की बातचीत बेहतर समझ और सहयोग के लिए एक उत्साहवर्धक मंच प्रदान करती है। उन्होंने विश्व के लिए बेहतर करने हेतु सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया और अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण भविष्य की आशा व्यक्त की।

एनएचआरसी, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने कहा कि प्राचीन भारतीय दर्शन वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है ने प्रतिभागियों को एकजुट रखने का मूलमंत्र प्रदान किया। भारत की विशालता और विविधता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि विशाल जनसंख्या, 22

आधिकारिक भाषाओं, विविध धार्मिक परंपराओं और 28 राज्यों एवं आठ केंद्र शासित प्रदेशों में फैले विभिन्न रीति-रिवाजों और त्योहारों के बावजूद, यह देश अपनी बहुलवाद की संस्कृति के कारण एकजुट और स्थिर बना हुआ है।

उन्होंने विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति सम्मान का आग्रह किया और कमजोर वर्ग की सुरक्षा तथा प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को स्थायी सभ्यतागत मूल्यों के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों के संरक्षक के रूप में आयोग की भूमिका में करुणा, जवाबदेही और समानता को मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में प्रतिपादित किया।

एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री पीयूष गोयल ने 2023 में अपने पहले संस्करण के बाद से राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के लिए आईटीईसी पहल



▶ आईटीईसी कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का जारी सत्र

की निरंतर वृद्धि पर प्रकाश डाला और कहा कि सहभागी संस्थानों के लिए इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिए पिछले वर्षों की प्रतिक्रिया के आधार पर इसमें लगातार सुधार किया गया है। कार्यक्रम का व्यावहारिक स्वरूप व्याख्यानों, विषयगत सत्रों, संवादात्मक चर्चाओं, विशेषज्ञ प्रस्तुतियों और क्षेत्रीय दौरों के संयोजन में परिलक्षित हुआ।

कार्यक्रम का विषयगत दायरा मानव अधिकार संबंधी चर्चा के बदलते आयामों को दर्शाता था। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण में विशेषज्ञता रखने वाले प्रख्यात व्यक्तियों ने संसाधन व्यक्तियों के रूप में कार्य किया। एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष और महासचिव के अलावा, विभिन्न सत्रों में विविध वक्ताओं ने भाग लिया, जिनमें एनएचआरसी, भारत की महानिदेशक (अन्वेषण) श्रीमती अनुपमा नीलेकर चंद्र; संयुक्त राष्ट्र के भारत निवासी समन्वयक श्री स्टीफन प्रीसनर; संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार; भारत सरकार की पूर्व सचिव श्रीमती भामथी बालासुब्रमण्यम; भारतीय जेल सुधारक और टिंका टिंका फाउंडेशन की संस्थापक प्रो. (डॉ.) वर्तिका नंदा; एम्स के मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख प्रो. (डॉ.) प्रताप शरण; एनएचआरसी, भारत के विशेष मॉनिटर डॉ. पूर्वा मित्तल और भिखारी निगम के संस्थापक श्री चंद्र मिश्रा शामिल थे।

सत्रों में अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार ढांचे के विकास, समकालीन मानव अधिकार मुद्दों, मानव अधिकार और व्यापार, मानव अधिकारों पर नई तकनीक के प्रभाव और सतत विकास जैसे विषयों को शामिल किया गया। प्रतिभागियों को एनएचआरसी, भारत के कामकाज, जिसमें शिकायत प्रबंधन और अन्वेषण तंत्र शामिल हैं, के बारे में भी जानकारी मिली। कार्यक्रम में अग्रणी विशेषज्ञों और संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ संवादात्मक सत्र, विषयगत चर्चाएं, क्षेत्रीय दौरे और सांस्कृतिक अनुभव को शामिल किया गया था। विभिन्न राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के पदाधिकारियों द्वारा साझा किए गए अनुभवों ने एक और महत्वपूर्ण आयाम जोड़ा, जिससे प्रतिभागियों को विभिन्न परिवेशों में काम करने वाले संस्थानों से सीखने का अवसर मिला।

राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के लिए आईटीईसी कार्यक्रम 2023 में अपने पहले संस्करण के बाद से लगातार विकसित हो रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार ने बताया कि इस पहल में 46 देशों के प्रतिभागी और विभिन्न राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के लगभग 200 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। उन्होंने मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता को बनाए रखते हुए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया और कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी और ज्ञान एवं अनुभवों के बहुमूल्य आदान-प्रदान की सराहना की।

कार्यक्रम में बढ़ती भागीदारी वैश्विक दक्षिण के मानव अधिकार संस्थानों के बीच संवाद के मंच के रूप में इसकी निरंतर भूमिका को दर्शाती है। न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने इस सहयोग को और आगे बढ़ाने की संभावना पर भी प्रकाश डाला और वैश्विक दक्षिण के मानव अधिकार संस्थानों के बीच मजबूत सहयोग



▶ वैश्विक दक्षिण के 14 देशों के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष, सदस्यगण एवं वरिष्ठ अधिकारीगण

की आवश्यकता और सहयोग के लिए एक साझा मंच को औपचारिक रूप देने की बात स्वीकार की। उन्होंने अनुभव और आपसी सीख के महत्व पर जोर दिया।

अपने समापन भाषण में, अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों के सौहार्द और सकारात्मक ऊर्जा के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि क्षमता निर्माण कार्यक्रम केवल अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार उपकरणों की व्याख्या तक सीमित नहीं है, क्योंकि इनका व्यावहारिक अनुप्रयोग विभिन्न देशों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संदर्भों के अनुसार भिन्न होता है। विज्ञान से उदाहरण देते हुए न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान मानव अधिकारों की "प्रयोगशाला" में कार्य करते हैं, जहाँ अनुभवों को साझा करना, चुनौतियों का समाधान करना और गलतियों से सीखना संस्थागत शिक्षा और सुधार में योगदान देता है।

यह कार्यक्रम औपचारिक सत्रों और संस्थागत चर्चाओं तक ही सीमित नहीं था। प्रतिभागियों को राष्ट्रपति भवन, लाल किला और ताजमहल सहित कई प्रतिष्ठित स्थानों का भ्रमण कराया गया, जिससे उन्हें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का गहन अनुभव प्राप्त हुआ।

कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रतिभागियों ने एनएचआरसी, भारत और विदेश मंत्रालय की सराहना की। उन्होंने मानव अधिकारों और सुशासन के विभिन्न पहलुओं के साथ-साथ विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई पहचान वाले लोकतंत्र में मानव अधिकारों का सम्मान करने की भारतीय संस्कृति के बारे में जानने के अवसर की प्रशंसा की।

जन सुनवाई एवं शिविर बैठक

शिविर बैठकें और जन सुनवाई, एनएचआरसी, भारत के मानव अधिकार संरक्षण को अधिक सुलभ और उत्तरदायी बनाने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आयोग अपनी कार्यवाही को जनता के करीब लाकर पीड़ितों और प्रभावित समुदायों को अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान करता है। 2007 से आयोजित ये बैठकें आयोग को व्यवस्थागत चिंताओं का आकलन करने और मानव अधिकार संरक्षण में जवाबदेही को सुदृढ़ करने में भी सक्षम बनाती हैं।

2 और 3 सितंबर 2026 को, आयोग ने गुजरात के गांधीनगर में अपना दो दिवसीय शिविर आयोजित किया और 129 मामलों की सुनवाई की। इनमें बंधुआ मजदूरी, औद्योगिक दुर्घटनाएं, हिरासत में मौतें और नागरिक लापरवाही शामिल थे, जिसके परिणामस्वरूप 73 मामलों का निपटारा हुआ, राहत के रूप में 5.77 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की सिफारिश और वितरण किया गया और राज्य अधिकारियों को सुरक्षा, जवाबदेही और कमजोर समुदायों के अधिकारों पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

पहले दिन आयोग ने 45 मामलों में संबंधित पक्षों की सुनवाई के बाद 27 मामलों को बंद कर दिया। कई मामलों में मुआवजे के भुगतान के प्रमाण प्रस्तुत किए गए, जिनकी राशि 3.5 करोड़ रुपये थी। मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन के कई मामलों पर सुनवाई हुई। एक मामले में, जहां एक महिला को कथित तौर पर उचित नोटिस दिए बिना गिरफ्तार किया गया था, 7.5 लाख रुपये के मुआवजे की सिफारिश की गई। हिरासत में हुई मौतों, नागरिक लापरवाही से हुई मौतों और पुलिस की ज्यादतियों के अलावा, बच्चों से जुड़े दुखद मामलों की भी सुनवाई हुई। एक मामले में, जहां एक बच्चे को कुत्ता ले गया था और वह कभी नहीं मिला, परिवार के लिए मुआवजे की सिफारिश की गई है।





▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन तथा सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन और श्रीमती विजया भारती सयानी गुजरात में मानव अधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए

गुजरात की विभिन्न फैक्ट्रियों में श्रमिकों की मृत्यु से जुड़े मामलों की भी सुनवाई की गई। भरूच स्थित एक रासायनिक कारखाने में भीषण आग और विस्फोट के बाद जान गंवाने वाले पाँच श्रमिकों के परिवारों को मुआवजा प्रदान किया गया। इसी प्रकार, दहेज स्थित एक अन्य रासायनिक संयंत्र में जहरीली गैसों के कारण दम घुटने से चार श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना में मृतक श्रमिकों के परिवारों को कुल 2 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा दिया गया। इसी तरह, अहमदाबाद में एक विशाल विज्ञापन होर्डिंग के गिरने से तीन श्रमिकों की मृत्यु के मामले में जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है, हालांकि मुआवजे से संबंधित विवरण अभी लंबित हैं।ये सभी मामले दर्शाते हैं कि आयोग औद्योगिक लापरवाही के कारण होने वाली जनहानि को गंभीरता से लेता है तथा ऐसे मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने और पीड़ित परिवारों को उचित एवं सार्थक राहत प्रदान करने के प्रति दृढ़ संकल्पित है।आयोग ने विद्यालयों के बुनियादी ढाँचे की विफलताओं तथा अनुसूचित जाति समुदायों के लिए श्मशान घाटों की कमी से जुड़े मुद्दों पर भी संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

दूसरे दिन, एनएचआरसी के अध्यक्ष ने राज्य में कथित बंधुआ मजदूरी के 27 मामलों की सुनवाई की। गुजरात के श्रम सचिव और संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट भी उपस्थित थे। आयोग ने जिला मजिस्ट्रेटों की दलीलें सुनीं और मामलों में प्राप्त रिपोर्टों पर विचार किया। उन्होंने अधिकारियों को महिलाओं और बच्चों के साथ व्यवहार करते समय सहानुभूति बरतने और ऐसी शिकायतों से निपटते समय बंधुआ मजदूरी के संकेतों पर विचार सुनिश्चित करने के लिए जागरूक किया।

न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि और श्रीमती विजया भारती सयानी की डिवीजन बैंच ने मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित अनुपालन मामलों और अन्य शिकायतों सहित 57 मामलों की सुनवाई की और पक्षकारों की सुनवाई तथा मृतक के परिजनों को 27 लाख रुपये के मुआवजे के भुगतान के प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्टों की समीक्षा के बाद 46 मामलों को बंद कर दिया। शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों से आगे की रिपोर्ट मांगी गई है।

आयोग ने गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों और मानव अधिकार संरक्षकों से बातचीत की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के बेहतर कार्यान्वयन; बाल यौन शोषण पीड़ितों के लिए न्याय; छोटी बच्चियों की संस्थागत देखभाल; एकल-खिड़की मंजूरी प्रणाली और असंगठित क्षेत्र में पशु स्वास्थ्य और कल्याण अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। एनएचआरसी के अध्यक्ष ने हितधारकों और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आयोग के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता को स्वीकार किया।

इसके बाद राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई, जिसमें रिपोर्ट प्रस्तुत न करना, बंधुआ मजदूरी के मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों को जागरूक करना, पुलिस द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन, शराबबंदी कानूनों का उचित कार्यान्वयन आदि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को राहत प्रदान करने में अधिकारियों के सहयोग की सराहना की। जन सुनवाई और शिविर बैठक का समापन मीडिया ब्रीफिंग के साथ हुआ।



▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन , सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि एवं श्रीमती विजया भारती सयानी, महासचिव श्री पीयूष गोयल तथा महानिदेशक (अन्वेषण) डॉ. अनुपमा नीलेकर चंद्रा गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संगठनों एवं मानव अधिकार संरक्षकों के साथ संवाद करते हुए

सुर्खियां

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य पर एनएचआरसी, भारत की पहलें

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने निरंतर इस बात पर बल दिया है कि स्वास्थ्य सेवा और मानसिक स्वास्थ्य तक पहुंच भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और गरिमा के अधिकार के अभिन्न अंग हैं। आयोग ने परामर्शी, अनुसंधान, निरीक्षण, परामर्श और प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के माध्यम से स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से कई पहलें की हैं।

इस क्षेत्र में आयोग के महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों में से एक कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों की पहचान, उपचार, पुनर्वास और भेदभाव उन्मूलन संबंधी परामर्शी (2022) जारी करना था। इस परामर्शी का उद्देश्य कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले दीर्घकालिक कलंक और भेदभाव को दूर करना था और शीघ्र पहचान, पुनर्वास, सामाजिक समावेशन और भेदभावपूर्ण कानूनी प्रावधानों को निरस्त करने से संबंधित उपायों की सिफारिश करना था। इस पहल के बाद, कई राज्यों और उच्च न्यायालयों ने कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण प्रावधानों वाले कानूनों की समीक्षा की और उनमें संशोधन या उन्हें निरस्त किया, जिससे प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों और गरिमा को बढ़ावा मिला।

आयोग ने मानसिक स्वास्थ्य पर एक परामर्शी (2023) भी जारी की है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना को मजबूत करने, परामर्श सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने, समुदाय-आधारित मानसिक स्वास्थ्य सहायता को बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। उभरती सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करने के इसी प्रयास में, आयोग ने नेत्र आघात की रोकथाम, न्यूनतमकरण और शमन के लिए एक परामर्श जारी किया, जिसमें यह स्वीकार किया गया कि आंखों की चोटों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रोके जाने योग्य है, लेकिन समय पर उपचार न मिलने पर अक्सर स्थायी दिव्यांगता का कारण बन जाता है। परामर्शी में कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर निवारक सुरक्षा उपायों, आघात देखभाल सुविधाओं में सुधार और स्वास्थ्य पेशेवरों और आम जनता के बीच अधिक जागरूकता की सिफारिश की गई है।

नीतिगत परामर्शी के अलावा, आयोग ने उन विशिष्ट मामलों में हस्तक्षेप किया है जहां मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों को खतरा था। ऐसे ही एक मामले में, पटना और बिहार में मनोरोग अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद दो मरीजों को उनके परिवारों ने स्वीकार नहीं किया, जिससे वे उपेक्षा और परित्याग के शिकार हो गए। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को उचित पुनर्वास उपाय सुनिश्चित करने और प्रभावित व्यक्तियों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करने का निर्देश दिया। इस प्रकार के हस्तक्षेप स्वास्थ्य संबंधी मानव अधिकारों के प्रणालीगत और व्यक्तिगत उल्लंघनों को संबोधित करने में आयोग की भूमिका को उजागर करते हैं।

आयोग ने कैदियों के लिए समय पर चिकित्सा परामर्श और विशेषज्ञ देखभाल सुनिश्चित करने हेतु जेलों में टेलीमेडिसिन सुविधाओं की शुरुआत की भी सिफारिश की है। सुरक्षा और व्यवस्था संबंधी बाधाओं के कारण अक्सर कैदियों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस सिफारिश का उद्देश्य जेलों में मौजूद स्वास्थ्य सुविधाओं और विशेष चिकित्सा सेवाओं के बीच की खाई को पाटना है, साथ ही कैदियों के स्वास्थ्य के अधिकार को भी बनाए रखना है।

मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एनएचआरसी ने महत्वपूर्ण निगरानी और दस्तावेज़ीकरण पहल भी की हैं। आयोग द्वारा किए गए एक महत्वपूर्ण कार्य में देश के सभी 46 मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का दौरा करना और उनकी स्थितियों की जांच करना शामिल था, जिसका उद्देश्य मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की जीवन स्थितियों, उपचार पद्धतियों और अधिकारों की सुरक्षा का आकलन करना था। इन दौरों से प्राप्त निष्कर्षों ने बुनियादी ढांचे, कर्मचारियों की संख्या, उपचार मानकों और रोगियों की सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से कई सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के दौरों के बाद, एनएचआरसी ने 'मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के कार्यान्वयन की स्थिति' नामक प्रकाशन में अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट दी। इन प्रयासों के पूरक के रूप में, आयोग ने स्वास्थ्य सेवा में उभरते मानव अधिकार संबंधी मुद्दों पर शोध रिपोर्ट और पुस्तकें प्रकाशित करके ज्ञान सृजन और प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इन उपायों के अतिरिक्त, आयोग स्वास्थ्य सेवा में उभरते मानव अधिकार संबंधी मुद्दों पर नियमित रूप से अनुसंधान परियोजनाओं को प्रायोजित करता है। ऐसी ही एक चल रही अनुसंधान परियोजना का शीर्षक है "चिकित्सकों के अधिकारों की परवाह करना - भारत में अग्रिम पंक्ति के डॉक्टरों से संबंधित मानव अधिकार उल्लंघनों का विश्लेषण", जो स्वास्थ्य सेवा प्रोफेशनल द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और अधिकारों के उल्लंघनों की अन्वेषण करती है, विशेष रूप से उच्च दबाव और सीमित संसाधनों वाले वातावरण में।

जानकारीपूर्ण संवाद और नीतिगत सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, आयोग ने स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर एक समर्पित कोर समूह की स्थापना की है, जिसमें विषय-विशेषज्ञ, नीति निर्माता और प्रोफेशनल शामिल हैं। समय-समय पर आयोजित होने वाली कोर समूह की बैठकों, राष्ट्रीय सम्मेलनों और ओपन हाउस चर्चाओं के माध्यम से, आयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विभिन्न हितधारकों के परामर्श के लिए एक मंच प्रदान करता है। ये मंच विशेषज्ञों, नियामकों, नागरिक समाज संगठनों और सरकारी प्रतिनिधियों को व्यवस्थागत कमियों पर विचार-विमर्श करने और व्यावहारिक नीतिगत समाधानों की पहचान करने में सक्षम बनाते हैं। इन चर्चाओं से प्राप्त सिफारिशें अक्सर आयोग के परामर्शों और हस्तक्षेपों का आधार बनती हैं।

आयोग देश के विभिन्न हिस्सों से रिपोर्ट किए गए स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान लेना जारी रखता है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित हो सके और उल्लंघन होने पर अधिकारियों द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई को बढ़ावा मिल सके।

इन पहलों से प्राप्त अनुभव ने कई सर्वोत्तम प्रथाओं को उजागर किया है, जिनमें अधिकार-आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रशासन का महत्व, समुदाय-आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, संस्थागत निगरानी में सुधार करना, निवारक स्वास्थ्य देखभाल उपायों को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य अधिकारियों, नागरिक समाज और नियामक निकायों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है।

आगे बढ़ते हुए, एनएचआरसी अपनी परामर्शी के लिए अनुवर्ती तंत्र को मजबूत करके, स्वास्थ्य संबंधी उभरती चिंताओं पर अनुसंधान और दस्तावेज़ीकरण का विस्तार करके, स्वास्थ्य संस्थानों का विषयगत निरीक्षण करके और स्वास्थ्य संबंधी मानव अधिकारों के बारे में अधिक जागरूकता को बढ़ावा देकर इन प्रयासों को आगे बढ़ाने का इरादा रखता है। सरकारों, विशेषज्ञों और नागरिक समाज के साथ निरंतर जुड़ाव के माध्यम से, आयोग का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणालियाँ न केवल सुलभ और कुशल हों, बल्कि मानवीय, समावेशी हों और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और अधिकारों का सम्मान करें।

लेख

उपचार से आगे: मानसिक स्वास्थ्य को मूलभूत मानव अधिकार के रूप में पुनः स्थापित करना

डॉ. राजेश सागर

प्रोफेसर, मनोचिकित्सा विभाग, एम्स, नई दिल्ली



किसी बीमारी का निदान उसके स्वास्थ्य को बदल सकता है, लेकिन उसके अधिकारों को कभी नहीं बदल सकता। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है - यह मानसिक स्वास्थ्य पर विचार करने का अवसर है, न केवल एक नैदानिक समस्या के रूप में, बल्कि एक मौलिक मानव अधिकार मुद्दे के रूप में भी। किसी समाज की मानव अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता इस बात में निहित है कि वह अपने सबसे कमजोर लोगों और विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करता है। उनकी जरूरतों को अक्सर केवल बीमारी और चिकित्सा उपचार के नजरिए से ही देखा गया है। उनकी गरिमा, समानता, स्वायत्तता और सामाजिक समावेश के मूल मुद्दों पर बहुत कम ध्यान दिया गया है।

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का संविधान यह बताता है कि सभी व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य सहित उच्चतम संभव स्वास्थ्य स्तर प्राप्त करने का अधिकार है। मानसिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के अधिकार के साथ-साथ गरिमा, समानता और निजता के अधिकार से अंतर्निहित रूप से जुड़ा हुआ है। किसी बीमारी का निदान इन अधिकारों को कम नहीं करता है।

वैश्विक संदर्भ में, मानसिक स्वास्थ्य विकारों का समग्र बोझ हाल के दशकों में बढ़ता जा रहा है।[1] समकालीन परिदृश्य पारंपरिक नैदानिक व्यवस्थाओं से परे नए दबाव उत्पन्न करता है। युवा शैक्षिक और व्यावसायिक अपेक्षाओं, सामाजिक मानदंडों, बदलते सामाजिक मानदंडों, अकेलेपन और जटिल डिजिटल वातावरण से जूझ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, विश्व स्तर पर 10-19 वर्ष की आयु के लगभग 7 में से 1 किशोर मानसिक स्वास्थ्य समस्या से ग्रस्त है, फिर भी कलंक और व्यवस्थागत बाधाएं समय पर हस्तक्षेप में रुकावट डालती हैं। जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म समुदाय, सीखने और साथियों से जुड़ने के अवसर प्रदान करते हैं, हानिकारक ऑनलाइन सामग्री के संपर्क में आने से युवाओं के स्वास्थ्य पर चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। डिजिटल तनाव से निपटने के लिए सहायक पारिवारिक संरचनाएं, सुरक्षित शैक्षिक वातावरण, डिजिटल साक्षरता और सुलभ परामर्श की आवश्यकता है, न कि केवल प्रौद्योगिकी को हानिकारक मानना।

कार्यस्थलों को भी इसी तरह के व्यवस्थित ध्यान की आवश्यकता है। मनोसामाजिक जोखिम अक्सर अत्यधिक कार्यभार, काम पर कम नियंत्रण, भेदभाव, उत्पीड़न, रोजगार असुरक्षा और खराब कार्य परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के संयुक्त नीतिगत ढांचे इस बात पर जोर देते हैं कि नियोक्ता और सरकार की सक्रिय कार्रवाई के माध्यम से कार्य-संबंधी मानसिक स्वास्थ्य जोखिमों को रोका जा सकता है।2 इसलिए, मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित स्कूलों, स्वस्थ डिजिटल वातावरण और सभ्य कार्य मानकों से संबंधित व्यापक चर्चाओं में सीधे तौर पर शामिल किया जाना चाहिए।

कलंक और भेदभाव प्रभावी स्वास्थ्य सेवा में प्रमुख बाधाएँ बने हुए हैं, जो सामाजिक अलगाव और बुनियादी अधिकारों के हनन को बढ़ावा देते हैं।3 कलंक केवल नकारात्मक सार्वजनिक धारणा का मामला नहीं है; यह अक्सर व्यक्तियों द्वारा आंतरिक रूप से आत्मसात कर लिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप शर्म, आत्मसम्मान में कमी और कठिनाइयों को प्रकट करने या सहायता मांगने में अनिच्छा उत्पन्न होती है। हालांकि, स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के भीतर भेदभाव विशेष रूप से चिंताजनक है। वित्तीय, भौगोलिक और सामाजिक बाधाएँ वंचित समूहों को असमान रूप से प्रभावित कर सकती हैं। सहायता मांगने वाले व्यक्तियों को अक्सर उपेक्षापूर्ण रवैये और संस्थागत प्रथाओं का सामना करना पड़ता है जो उनकी गरिमा और व्यक्तिगत स्वायत्तता को कमज़ोर करती हैं।

भारत में, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 समानता और गैर-भेदभाव के अधिकार की स्पष्ट रूप से गारंटी देता है, और यह कानूनी रूप से अनिवार्य करता है कि मानसिक रोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं शारीरिक रोगों के समान ही प्रदान की जाएं।4 यह अधिनियम सस्ती, उच्च-गुणवत्ता वाली, भौगोलिक रूप से सुलभ और गैर-भेदभावपूर्ण देखभाल के कानूनी अधिकार की स्थापना करके स्वास्थ्य देखभाल असमानताओं को दूर करता है। यह प्राथमिक स्वास्थ्य अवसंरचना में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को एकीकृत करने और समुदाय-आधारित सेवाओं को प्राथमिकता देने पर जोर देता है, विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के लिए। हालांकि, इन अधिकारों को सुलभ सेवाओं, प्रशिक्षित कर्मचारियों, पर्याप्त धन, उचित निगरानी और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में अधिकार-आधारित व्यवहार में परिणत करने में चुनौती बनी हुई है।

प्रतिकूल सामाजिक परिस्थितियों के कारण असुरक्षित हो जाने वाले लोगों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चों और किशोरों को उनकी आयु के अनुरूप, सुलभ और सहायक वातावरण की आवश्यकता होती है; महिलाओं और हिंसा पीड़ितों को गोपनीय, आघात-आधारित सहायता प्रणालियों की आवश्यकता होती है; वृद्ध अक्सर शोक, अकेलेपन और सामाजिक अलगाव का सामना करते हैं; और दिव्यांगजनों के साथ-साथ संस्थागत देखभाल प्राप्त व्यक्तियों को अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने और उचित देखभाल प्राप्त करने में अधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। गरीबी, हिंसा, दिव्यांगता, प्रणालीगत भेदभाव और अलगाव जैसी प्रतिकूल जीवन परिस्थितियाँ मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को बढ़ाती हैं और साथ ही देखभाल में बाधाएँ उत्पन्न करती हैं। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को मानव अधिकार के रूप में तभी साकार किया जा सकता है जब यह सबसे कमजोर लोगों तक गरिमापूर्ण तरीके से पहुंचे, बिना उन्हें उनकी आर्थिक या सामाजिक सीमाओं से परे यात्रा करने के लिए मजबूर किए।

स्वास्थ्य सेवा प्रणालियाँ अकेले मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर सकतीं। परिवार भावनात्मक समर्थन का प्राथमिक स्रोत होते हैं, जो संकट की शीघ्र पहचान करके उपचार में सहायता करते हैं। देखभाल करने वालों को सूचना, परामर्श और व्यावहारिक राहत की आवश्यकता होती है - ये आवश्यकताएँ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 द्वारा परिवार सहायता और घर-आधारित पुनर्वास के प्रावधानों के माध्यम से मान्यता प्राप्त हैं। शैक्षणिक संस्थानों को ऐसा वातावरण विकसित करना चाहिए जहाँ छात्र उपहास या भेदभाव के भय के बिना मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर खुलकर चर्चा कर सकें। नियोक्ताओं को कार्यस्थल के खतरों को कम करने, गोपनीयता बनाए रखने और कर्मचारियों को उनकी नौकरी की सुरक्षा या पेशेवर प्रतिष्ठा को खतरे में डाले बिना सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। नागरिक समाज और मीडिया हानिकारक रूढ़ियों से निपटने और सूचित सार्वजनिक संवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जबकि मानव अधिकार निकायों को वैधानिक अनुपालन की निगरानी करनी चाहिए, प्रणालीगत भेदभाव का पता लगाना चाहिए और अधिकार-आधारित सुधारों का समर्थन करना चाहिए।

कलंक से लड़ना केवल जागरूकता अभियानों के माध्यम से संभव नहीं है। इसके लिए निरंतर मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता कार्यक्रम, जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ मीडिया रिपोर्टिंग, रोगी की गोपनीयता की सुरक्षा, भेदभाव-विरोधी उपाय और नीतियों को आकार देने में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अनुभव कर चुके व्यक्तियों की सार्थक भागीदारी आवश्यक है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2026 के लिए विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ द्वारा "सुने गए वास्तविक अनुभव: वास्तविक आवाजें, वास्तविक परिवर्तन" विषय के तहत जैसा कि उजागर किया गया है, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव कर चुके लोगों को केवल निर्णय लेने के बाद परामर्श करने के बजाय नीतियों और सेवाओं को आकार देने में शामिल किया जाना चाहिए।5

कानूनी ढांचा और सहायक नीतियां लागू करने के लिए कदम उठाए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप सोच में कुछ स्पष्ट बदलाव आए हैं। हालांकि, कानूनी ढांचे, उत्तरदायी नीतियों और एक सुव्यवस्थित स्वास्थ्य प्रणाली द्वारा समर्थित व्यक्ति-केंद्रित, समुदाय-आधारित और अधिकार-आधारित दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक अधिक सुसंगत दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हमें अपने सामूहिक दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है। प्रगति को केवल संस्थागत सुविधाओं के निर्माण या दवाओं और विशेषज्ञों की संख्या में वृद्धि से नहीं मापा जा सकता। एक अधिकार-आधारित मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली को गरिमा, स्वायत्तता, समानता, गोपनीयता और सामाजिक समावेश को सक्रिय रूप से बनाए रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानसिक बीमारियों से पीड़ित लोगों के अनुभव सीधे तौर पर उन नीतियों और सेवाओं के निर्माण में मार्गदर्शक होने चाहिए जो उनके जीवन को नियंत्रित करती हैं, और मानसिक स्वास्थ्य को सभी के लिए एक वास्तविकता बनाने के लिए आवश्यक परिवर्तन को गति प्रदान करती हैं।

मुख्य संदर्भ

1. सागर आर, डंडोना आर, गुरुराज जी, एट अल। भारत के राज्यों में मानसिक विकारों का बोझ: वैश्विक रोग भार अध्ययन 1990-2017। लैंसेट साइकियाट्री। 2020;7(2):148-161।
2. विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य: नीतिगत संक्षिप्त विवरण। जिनेवा: डब्ल्यूएचओ/आईएलओ; 2022।
3. विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट: सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य में परिवर्तन। जिनेवा: डब्ल्यूएचओ; 2022।
4. भारत सरकार। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 10 वर्ष 2017)। नई दिल्ली: भारत सरकार; 2017।
5. विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2026: "जीने के अनुभवों को सुना गया: वास्तविक आवाज़ें, वास्तविक परिवर्तन।" WFMH; 2026।

स्वतः संज्ञान

एनएचआरसी, भारत के लिए मानव अधिकार उल्लंघन की घटनाओं की पहचान करने में मीडिया रिपोर्टें लंबे समय से सूचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में, आयोग ने ऐसे कई मामलों का स्वतः संज्ञान लिया है और पीड़ितों को समय पर राहत और सहायता प्रदान की है। सितंबर 2026 में, आयोग ने मीडिया में रिपोर्ट किए गए पांच मामलों का स्वतः संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। इनमें से कुछ मामलों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

स्कूल के बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए नदी पार करने को मजबूर होना पड़ा

(केस नंबर)359/33/25/2026)

3 सितंबर 2026 को मीडिया ने खबर दी कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक में खंभाथा और आसपास की बस्तियों के दर्जनों बच्चे अपने स्कूलों तक पहुंचने के लिए पैरी नदी पार करने के लिए एक अधूरे पुल से जुड़ी संकरी और फिसलन भरी लोहे की सीढ़ी पर चढ़ने को मजबूर हैं। कथित तौर पर मानसून के मौसम में यह उथली नदी उफान पर आ जाती है। आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। खबरों के अनुसार, मैनपुर ब्लॉक में देहरगुडा और खंभाथा के बीच लगभग 300 मीटर लंबा पुल लगभग छह वर्षों से निर्माणाधीन है, जबकि संबंधित अधिकारियों ने लगभग एक साल पहले ग्रामीणों को छह महीने में इसके पूरा होने का आश्वासन दिया था।

महिला पर हमला और सार्वजनिक अपमान

(केस नंबर 1727/20/3/2026-WC)

4 सितंबर 2026 को मीडिया में खबर आई कि राजस्थान के बांसवाड़ा में 1 सितंबर 2026 को एक महिला को उसके पति और अन्य रिश्तेदारों ने लाठियों से पीटा और जबरन उसके बाल काटकर उसे अर्धनग्न अवस्था में घुमाया। बताया जाता है कि वे उस पर किसी दूसरे पुरुष के साथ घर छोड़ने का आरोप लगा रहे थे। तदानुसार, राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव और बांसवाड़ा के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट में जांच की स्थिति और पीड़िता को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) का विवरण शामिल होने की अपेक्षा है। बताया जाता है कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सामने आया। खबरों के अनुसार, महिला के साथ सरेआम क्रूरता और अमानवीय व्यवहार किया गया।

सेप्टिक टैंक में दो श्रमिकों की मौत

(केस नंबर 1960/4/23/2026)

15 सितंबर 2026 को मीडिया में खबर आई कि बिहार के मुजफ्फरपुर में एक सेप्टिक टैंक में दम घुटने से दो मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह घटना 14 सितंबर 2026 को सिकंदरपुर पुलिस स्टेशन के इलाके में घटी। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, जिला मजिस्ट्रेट और मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में मामले की जांच की स्थिति और मृतकों के परिजनों को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) का विवरण शामिल होने की अपेक्षा है। बताया जा रहा है कि घटना के समय मजदूर सेप्टिक टैंक से शटर हटा रहे थे। मामले की अन्वेषण की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हुआ था या नहीं।

खुले मैनहोल में गिरने से लड़की की मौत

(केस नंबर 1364/7/22/2026)

16 सितंबर 2026 को मीडिया ने खबर दी कि हरियाणा के पलवल में 14 सितंबर 2026 को अपने घर के पास खेलते समय एक चार वर्षीय बच्ची खुले मैनहोल में गिरकर मर गई। कथित तौर पर स्थानीय निवासियों द्वारा संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायत करने के बावजूद, मैनहोल खुला ही रहा।

आयोग ने उपायुक्त और पलवल के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में अन्वेषण की स्थिति और मृतक के परिजनों को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) का विवरण शामिल होने की अपेक्षा है। खबरों के अनुसार, पीड़ित लड़की के परिवार और स्थानीय निवासियों ने उसे खुले मैनहोल के अंदर पाया और गंभीर हालत में जिला सिविल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

महिला की आत्महत्या

(केस नंबर 10957/24/40/2026-WC)

23 सितंबर 2026 को मीडिया में खबर आई कि तीन नाबालिगों सहित छह लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई 19 वर्षीय युवती ने आत्महत्या कर ली। कथित तौर पर युवती किसी काम से पशुशाला गई थी, जहां छह आरोपियों ने कथित तौर पर उसे पकड़ लिया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। आयोग ने उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में अन्वेषण की स्थिति और मृतक के परिजनों को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) का विवरण शामिल होने की अपेक्षा है। बताया जाता है कि वीडियो प्रसारित करने की धमकियों से पीड़ित पीड़िता ने जहर खा लिया।

राहत के लिए सिफारिशें

एनएचआरसी, भारत की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों का समाधान करना, पीड़ितों की शिकायतों को सुनना और ऐसे मामलों में उचित राहत की सिफारिश करना है। यह नियमित रूप से विभिन्न मामलों की सुनवाई करता है और पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश और सिफारिशें देता है। सितंबर 2026 में, 76 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी। 13 मामलों में पीड़ितों या उनके परिजनों (एनओके) के लिए मुआवज़े की सिफारिश की गई थी, जिनमें यह पाया गया कि लोक सेवकों ने या तो मानव अधिकारों का उल्लंघन किया था या उनकी रक्षा करने में लापरवाही बरती थी। इन मामलों का विस्तृत विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस नंबर को दर्ज करके एनएचआरसी, भारत की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

क्रमांक	केस संख्या	शिकायत की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	प्राधिकरण
1	3514/30/0/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार
2	5463/30/9/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	10.00	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार
3	2813/24/76/2024-AD	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	उत्तर प्रदेश सरकार
4	1154/22/53/2017-AD	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	तमिलनाडु सरकार
5	3684/13/30/2022-PCD	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	महाराष्ट्र सरकार
6	1397/13/9/2024-PCD	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	महाराष्ट्र सरकार
7	5386/25/3/2022-PCD	पुलिस हिरासत में मौत	10.00	पश्चिम बंगाल सरकार
8	141/7/18/2024	पुलिस हिरासत में मौत	7.50	हरियाणा सरकार
9	152/3/14/2024-ईडी	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5.00	असम सरकार
10	21/6/2/2025	पुलिस द्वारा महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना	7.50	गुजरात सरकार
11	1811/1/26/2025	गैरकानूनी हिरासत	0.50	आंध्र प्रदेश सरकार
12	4655/30/7/2024	कुत्ते के काटने की घटना के संबंध में शिकायत पर एमसीडी की निष्क्रियता	0.50	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार
13	689/18/32/2026	विद्यालय अधिकारियों की लापरवाही के कारण मलेरिया से छात्रों की मृत्यु	10.00	ओडिशा सरकार

पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान

सितंबर 2026 के दौरान, आयोग ने अनुपालन रिपोर्ट और सार्वजनिक प्राधिकरणों से भुगतान के प्रमाण प्राप्त होने पर या अन्य टिप्पणियों/निर्देश जारी करके 7 मामलों को बंद कर दिया। आयोग की सिफारिशों पर इन सात मामलों में पीड़ितों या उनके परिजनों को 33.75 लाख रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया गया। इन मामलों का विस्तृत विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस नंबर से लॉग इन करके एनएचआरसी, भारत की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

क्रमांक	केस संख्या	शिकायत की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	प्राधिकरण
1	3502/30/0/2014	पुलिस द्वारा कथित अत्याचार	0.25	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार
2	1039/6/10/2023-PCD	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	गुजरात सरकार

क्रमांक	केस संख्या	शिकायत की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	प्राधिकरण
3	321/6/21/2024-PCD	पुलिस हिरासत में मौत	10.00	गुजरात सरकार
4	320/6/26/2024-PCD	पुलिस हिरासत में मौत	7.00	गुजरात सरकार
5	312/6/23/2020-AD	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	गुजरात सरकार
6	462/33/5/2025	विद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों में शारीरिक दंड	0.50	छत्तीसगढ़ सरकार
7	252/30/8/2014	अफ्रीकी नागरिकों के प्रति नस्लीय पूर्वाग्रह	6.00	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार

केस स्टडी

कई मामलों में, आयोग ने पाया कि राज्य अधिकारियों के दावों के विपरीत, उनके गैरकानूनी कार्यों, निष्क्रियता या चूक के कारण पीड़ितों के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ था। इसलिए, आयोग ने प्रत्येक मामले के आधार पर उन्हें नोटिस जारी कर कारण बताओ कि इन पीड़ितों या उनके परिजनों को आर्थिक मुआवज़ा देने की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए और दोषी/लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। कारण बताओ नोटिसों पर राज्यों द्वारा अपनाए गए जवाब के आधार पर आयोग ने मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों या उनके परिजनों को आर्थिक मुआवज़ा देने की सिफारिश की। आयोग को संबंधित राज्य अधिकारियों द्वारा सिफारिशों के अनुपालन की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई। ऐसे मामलों का सारांश नीचे दिया गया है:

स्कूल प्रधानाचार्य द्वारा हमला

(केस संख्या 462/33/5/2025)

यह मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 2025 में एक साढ़े तीन साल की बच्ची पर उसके स्कूल की प्रधानाचार्य द्वारा किए गए हमले से संबंधित है। बच्ची ने जब सांस्कृतिक अभिवादन 'राधे राधे' किया तो बच्ची को पीटा गया और उसका मुंह टेप से बंद कर दिया गया, जिससे वह मानसिक रूप से आघातग्रस्त हो गई। आयोग ने अपने नोटिसों के जवाब में प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर आरोपों को सही पाया और माना कि मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए राज्य पीड़िता को मुआवजा देने के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी है। तदनुसार, आयोग ने राज्य को पीड़िता को 50,000 रुपये का मुआवजा देने की सिफारिश की, जिसका भुगतान कर दिया गया।

हिरासत में मृत्यु

(केस नंबर 1039/6/10/2023-PCD)

यह मामला गुजरात के गांधीनगर जिले में 2023 में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत से संबंधित था। आयोग को भेजे गए नोटिसों के जवाब में प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, आयोग ने पाया कि पुलिस पीड़ित को उचित चिकित्सा उपचार प्रदान करने में विफल रही। इसलिए, राज्य को अपने कर्मचारियों की लापरवाही के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए, आयोग ने सिफारिश की कि वह पीड़ित के परिजनों को 5 लाख रुपये की राहत राशि का भुगतान करे, जिसका भुगतान कर दिया गया।

पुलिस हिरासत में यातना

(केस संख्या 340/10/4/2022)

यह मामला 2022 में कर्नाटक के बीदर जिले के कमल नगर पुलिस स्टेशन की हिरासत में एक व्यक्ति पर कथित रूप से किए गए क्रूर हमले से संबंधित था, जिसके परिणामस्वरूप उसके दांत टूट गए थे। आयोग ने अपने नोटिसों के जवाब में प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर पाया कि पुलिस ने हमले के आरोप से इनकार किया, लेकिन यह साबित करने में विफल रही कि पीड़ित के दांत गिरफ्तारी से पहले ही टूट गए थे। आयोग की अन्वेषण टीम ने पाया कि दांत टूटने के कारण और अनुमानित समय का पता लगाने के लिए पीड़ित की चिकित्सकीय जांच नहीं की गई थी। इसलिए, राज्य को अपने अधिकारियों की हिरासत में एक व्यक्ति पर हुए अत्याचार के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए, आयोग ने सिफारिश की कि वह पीड़ित को 50,000 रुपये की राहत राशि का भुगतान करे, जिसका पालन किया गया।

जेल में आत्महत्या के कारण मृत्यु

(केस नंबर 207/7/6/2023-जेसीडी)

यह मामला 2023 में हरियाणा के हिसार स्थित केंद्रीय जेल में हिरासत में रहे एक व्यक्ति की आत्महत्या से संबंधित है। उसने दीवार में लगी लकड़ी की कील पर तौलिए जैसे कपड़े से लटककर आत्महत्या कर ली थी। आयोग को भेजे गए नोटिसों और अन्वेषण दल की रिपोर्टों के आधार पर, आयोग ने पाया कि इस घटना में जेल अधिकारियों की ओर से कोई गड़बड़ी नहीं थी। हालांकि, चूंकि कैदी उनकी देखरेख और हिरासत में था, इसलिए यह उनकी जिम्मेदारी थी कि वह खुद को नुकसान न पहुंचाए। इसलिए, राज्य को अपने कर्मचारियों की लापरवाही के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए, आयोग ने सिफारिश की कि वह पीड़ित के परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा दे, जो दे दिया गया।

मौके पर पूछताछ

एनएचआरसी, भारत मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों में मौके पर जाकर जांच करने के लिए समय-समय पर अन्वेषण अधिकारियों की अपनी टीम नियुक्त करता है।

केस संख्या 3036/22/15/2023

14 से 17 सितंबर 2026 तक, तमिलनाडु के मदुरै केंद्रीय जेल में एक विचाराधीन कैदी के साथ दुर्व्यवहार और यातना किए जाने के आरोपों की मौके पर जांच की गई। जेल अधिकारियों द्वारा उसे उचित चिकित्सा उपचार प्रदान नहीं किया जा रहा था।

केस संख्या 168/9/7/2023

14 से 18 सितंबर 2026 तक, जम्मू और कश्मीर के कठुआ में 13 अगस्त 2023 को पुलिस द्वारा अवैध हिरासत और हिरासत में बर्बर मारपीट के आरोपों के संबंध में मौके पर जांच की गई।

केस संख्या 1939/34/1/2022-पीएफ

22 से 25 सितंबर 2026 तक, झारखंड के बोकारो में सीएसएफ कर्मियों और कुछ निजी व्यक्तियों, जिन पर चोर होने का आरोप था, के बीच हुई झड़प में चार लोगों की मौत और दो लोगों के गंभीर रूप से घायल होने के आरोप की मौके पर जांच की गई।

केस संख्या 23458/24/31/2025

21 से 25 सितंबर 2026 तक, शिकायतकर्ता, उसके पिता और भाई पर आरोपियों द्वारा फिरौती की मांग ठुकराने पर किए गए हमले के मामले में पुलिस की निष्क्रियता की अन्वेषण के लिए मौके पर जांच की गई। पीड़ितों को कथित तौर पर सिर में गंभीर चोटें आईं। शिकायतों, पीसीआर कॉल और सीसीटीवी फुटेज जमा करने के बावजूद, पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

केस संख्या 3237/30/6/2023-PCD

15 से 18 सितंबर 2026 तक, दिल्ली में 23 जुलाई 2023 को पुलिस हिरासत में 36 वर्षीय व्यक्ति की मौत के आरोप के संबंध में मौके पर जांच की गई।

केस संख्या 2152/20/2/2023-जेसीडी

21 से 25 सितंबर 2026 तक, राजस्थान के जयपुर केंद्रीय जेल की हिरासत में एक व्यक्ति की मौत के आरोप के संबंध में मौके पर जांच की गई।

केस संख्या 3034/30/10/2024

14 से 19 सितंबर 2026 तक, दिल्ली के लाजपत नगर पुलिस स्टेशन में 22 अप्रैल 2024 को पुलिस हिरासत में एक महिला को धमकाने और उसके कपड़े उतारने के आरोपों की मौके पर जांच की गई।

केस संख्या 523/18/3/2026-एडी

14 से 18 सितंबर 2026 तक, ओडिशा के कटक में भूमि विवाद के संबंध में कथित मानसिक यातना और हिरासत में लापरवाही के कारण 24 सितंबर 2025 को पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति को मस्तिष्क आघात होने के आरोप की मौके पर जांच की गई। यह भी आरोप है कि पुलिस ने उसकी खराब स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद उसे समय पर चिकित्सा उपचार प्रदान नहीं किया।

केस संख्या 103/13/23/2025

21 से 23 सितंबर 2026 तक, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा 7 जनवरी 2025 को पुणे, महाराष्ट्र में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के संबंध में उसके परिवार को सूचना न देने के आरोप की मौके पर जांच की गई। श्रीकाकुलम के एसपी से संपर्क करने के बावजूद, संबंधित परिवार को कोई सहायता प्रदान नहीं की गई।

क्षेत्रीय दौरे

एनएचआरसी,भारत के अध्यक्ष, सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर देश के विभिन्न स्थानों का दौरा करते हैं ताकि मानव अधिकारों की स्थिति और राज्य सरकारों एवं उनके संबंधित अधिकारियों द्वारा आयोग की सलाह, दिशा-निर्देशों और अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन कर सकें। वे सरकारी अधिकारियों में जागरूकता बढ़ाने और मानव अधिकार स्थितियों में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आश्रय स्थलों, कारागारों और निगरानी गृहों का भी दौरा करते हैं। इन दौरों के दौरान, राज्य अधिकारियों को समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के महत्व पर भी बल दिया जाता है, क्योंकि इससे आयोग को मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों का शीघ्र समाधान करने में सहायता मिलती है।

एनएचआरसी, भारत के सदस्यों द्वारा किये गये दौरे

22 सितंबर 2026 को, एनएचसीआर, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का दौरा किया और सार्वजनिक संस्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने एक नाबालिग लड़की से संबंधित पीओसीएसओ मामले के सिलसिले में रामाकुप्पम का भी दौरा किया। सदस्य ने पीड़िता और उसके परिवार से मुलाकात की, उनकी शिकायतें सुनीं और सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस को उनकी शिकायत दर्ज कराने में सहायता की। उन्होंने स्थानीय निवासियों से भी बातचीत की और उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई के लिए नोट किया।

विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनिटर

एनएचआरसी, भारत ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानव अधिकार स्थितियों की निगरानी के लिए 15 विशेष प्रतिवेदकों को नियुक्त किया है। ये प्रतिवेदक आश्रय गृहों, कारागारों, निगरानी गृहों और इसी प्रकार के संस्थानों का दौरा करते हैं और आयोग के लिए रिपोर्ट लिखते हैं जिनमें उनके अवलोकनों के साथ-साथ भविष्य की कार्रवाई के लिए सुझाव भी शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग ने विशिष्ट विषयगत मानव अधिकार मुद्दों की निगरानी के लिए 18 विशेष मॉनिटर्स को नियुक्त किया है और उनसे आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

विशेष प्रतिवेदक

15 से 19 सितंबर 2026 तक, एनएचआरसी के विशेष प्रतिवेदक श्री एस.के. सतपथी ने ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिला जेल और हिरासत संस्थानों के साथ-साथ महिला आश्रय गृहों और बाल देखभाल गृहों में विभिन्न सुविधाओं और मानव अधिकारों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लोगों के आवासों, प्राथमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का भी दौरा किया। जिला प्रशासन के अधिकारियों की उपस्थिति में उन्होंने गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों के साथ भी बातचीत की।



21 से 26 सितंबर 2026 तक, एनएचआरसी की विशेष प्रतिवेदक श्रीमती सुचित्रा सिन्हा ने झारखंड के रांची जिले के विभिन्न गांवों का दौरा किया ताकि भूमि अधिग्रहण, विस्थापन, मुआवजा, पुनर्वास, सड़क अधिग्रहण, खनन संबंधी विस्थापन, आजीविका और जलाशय संबंधी अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों का



आकलन किया जा सके। उन्होंने ओरमांझी ब्लॉक के कुटे, नामकुम ब्लॉक के सोहदाग, बुरमू ब्लॉक के बिनजा और चुरुगढ़ा, बेरो ब्लॉक के करंजी और नामकुम ब्लॉक के हेथदाहू का दौरा किया और प्रभावित लोगों और संबंधित स्थानीय अधिकारियों से बातचीत की।

20 से 27 सितंबर 2026 तक, एनएचआरसी के विशेष प्रतिवेदक श्री सईद अहमद बाबा ने मिजोरम के सैतुअल और चम्फाई जिलों का दौरा किया और जिला जेल, जिला अस्पताल, बाल देखभाल संस्थानों, वृद्धाश्रमों और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में विभिन्न सुविधाओं और मानव अधिकारों की स्थिति का आकलन किया। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों के साथ बैठकें भी कीं।

27 से 30 सितंबर तक, एनएचआरसी के विशेष प्रतिवेदक श्री देवेंद्र कुमार निम ने मानव अधिकार स्थिति का आकलन करने के लिए तेलंगाना के कामारेड्डी, निज़ामाबाद और रंगारेड्डी जिलों का दौरा किया। उन्होंने कामारेड्डी जिले के गांधारी स्थित ईएमआर स्कूल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा देवुनिपल्ली स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र; निज़ामाबाद जिले के इंदलवाई स्थित ईएमआर स्कूल; कामारेड्डी जिले के निज़ामसागर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र; और रंगारेड्डी जिले के गाचीबौली स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय (एचसीयू परिसर) में विभिन्न सुविधाओं का आकलन करने के लिए दौरा किया। उन्होंने कामारेड्डी और निज़ामाबाद के जिला कलेक्टरों और जनजातीय मामलों, स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों के संबंधित अधिकारियों के साथ-साथ शिक्षा और जनजातीय मामलों के संबंधित अधिकारियों और जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति के अधिकारियों से भी बैठकें कीं।

विशेष मॉनिटर

1 से 9 सितंबर 2026 तक, एनएचआरसी के विशेष मॉनिटर श्री गोपी शंकर मदुरै ने केरल के तिरुवनंतपुरम का दौरा किया और राज्य सरकार तथा संबंधित संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परिचयात्मक और समीक्षा बैठकें कीं। उन्होंने पुलिस कर्मियों के लिए संवेदीकरण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए और किशोर सुधार गृहों तथा सुरक्षित स्थानों का दौरा करके कानून से संघर्ष कर रहे बच्चों और देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की जीवन स्थितियों, सुरक्षा और गरिमा का आकलन किया।

7 से 10 सितंबर 2026 तक, एनएचआरसी की विशेष मॉनिटर डॉ. पूनम मलकोंडैया ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले का दौरा किया। उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा किया, छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत की और कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाल विकास परियोजना अधिकारी, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, जिला शिक्षा अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकें कीं।

7 से 11 सितंबर 2026 तक, एनएचआरसी के विशेष मॉनिटर डॉ. अनिमेष भट्टाचार्य ने बिहार के पटना, बक्सर और भोजपुर जिलों का दौरा किया। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा कर आर्सेनिकोसिस रोगियों की पहचान, रिकॉर्डिंग, उपचार और अनुवर्ती कार्रवाई, चिकित्सा अधिकारियों और आशा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण, रोग निगरानी और संबंधित दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता की स्थिति की भी समीक्षा की और लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पंचायती राज विभाग, जिला प्रशासन, सिविल सर्जन, जिला निगरानी अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकें कीं।

16 से 24 सितंबर 2026 तक, एनएचआरसी के विशेष मॉनिटर श्री बालकृष्ण गोयल ने पंजाब के पटियाला और लुधियाना जिलों का दौरा किया और केंद्रीय/जिला जेलों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) केंद्रों, पुलिस स्टेशनों, जिला अस्पतालों/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, बाल देखभाल संस्थानों, सुरक्षित स्थानों, विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियों, वृद्धाश्रमों, सरकारी/आवासीय विद्यालयों, अवलोकन गृहों, वन स्टॉप सेंटरों और आंगनवाड़ी केंद्रों में मानव अधिकार स्थिति का आकलन किया। उन्होंने उपायुक्तों और अन्य संबंधित जिला अधिकारियों के साथ बैठकें भी कीं।

20 से 27 सितंबर 2026 तक, एनएचआरसी के विशेष मॉनिटर श्री उमाकांत ने झारखंड के रांची का दौरा किया और राज्य के विभिन्न जिलों में ग्राम सभाओं, ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला परिषदों में उपलब्ध सुविधाओं का आकलन किया। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों और स्थानीय ग्रामीण एवं शहरी लोगों से भी बातचीत की और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और उनसे जुड़े मानव अधिकार पहलुओं के कार्यान्वयन पर उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए राज्य सरकार, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य चुनाव आयोग और राज्य वित्त आयोग के अधिकारियों के साथ बैठकें कीं।

21 से 27 सितंबर 2026 तक, एनएचआरसी के विशेष मॉनिटर श्री आर. हेमंत कुमार ने उत्तर प्रदेश के दुधवा, कटारनियाघाट, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर क्षेत्रों का दौरा किया ताकि आदिवासी समुदायों, विशेष रूप से थारू आदिवासी आबादी से संबंधित शासन, अधिकार, विकास और मानव विकास ढांचे का अध्ययन किया जा सके। उन्होंने मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन), अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (आदिवासी कल्याण), प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने दुधवा, दुधवा थारू लैंडस्केप, कटारनियाघाट, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर का दौरा भी किया और थारू परिवारों, पारंपरिक नेताओं, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, कारीगरों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों और वन पर निर्भर समुदायों के साथ बातचीत की।

उन्होंने भूमि स्वामित्व और वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन, आवास, पेयजल, शिक्षा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और सामाजिक सुरक्षा कवरेज, आजीविका, प्रवासन, मानव-वन्यजीव संघर्ष और मुआवजा, वन संसाधनों तक पहुंच, संरक्षण संबंधी प्रतिबंध, सांस्कृतिक विरासत और पहचान, आजीविका विविधीकरण और संरक्षण एवं शासन में सामुदायिक भागीदारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया। उन्होंने जिला प्रशासन, जनजातीय कल्याण/सामाजिक कल्याण, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास/पंचायती राज और पुलिस/सीमा अधिकारियों के संबंधित अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय बैठकें भी कीं।

22 से 27 सितंबर 2026 तक, एनएचआरसी के विशेष मॉनिटर, श्री विद्या भूषण कुमार ने झारखंड के रांची, धनबाद, हज़ारीबाग, रामगढ़, पलामू और लोहरदगा का दौरा किया। उसने आयोजित किया राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों में झरिया और धनबाद में कोयला खनन से संबंधित चोटों, रामगढ़ और हजारीबाग में औद्योगिक, क्रशर और ओपन-कास्ट खनन से संबंधित गिरावट और पलामू और लोहरदगा में पेयजल संकट की समीक्षा की गई।

उन्होंने झरिया कोयला क्षेत्र का दौरा कर सीम में लगी आग, भूस्खलन और बंद पड़े भूमिगत कार्यों से संबंधित मुद्दों का जायजा लिया और धनबाद के जिला कलेक्टर, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, धनबाद के नगर आयुक्त और सिविल सर्जन से बातचीत की। पलामू और लोहरदगा में उन्होंने संबंधित जिला एवं विभागीय अधिकारियों, नागरिक समाज संगठनों, हिंडाल्को, संभागीय वन अधिकारी और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ चर्चा की।

श्री कुमार ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के उत्तरी करणपुरा ओपन-कास्ट बेल्ट और लोहरदगा में खनन पुनर्वास क्षेत्रों और ओपन-कास्ट बॉक्साइट खनन

क्षेत्रों का भी दौरा किया ताकि ऊपरी मिट्टी, जल धारण क्षमता और कृषि क्षेत्रों और बस्तियों को सिंचित करने वाले झरनों पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन किया जा सके, जिसमें अनुसूचित जनजाति परिवारों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) समुदायों की स्थिति भी शामिल है।

25 से 30 सितंबर 2026 तक, एनएचआरसी की विशेष मॉनिटर डॉ. पूर्वा मित्तल ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के सचिव और दिल्ली के उपराज्यपाल के सचिव से महिलाओं और दिव्यांगता से संबंधित मुद्दों पर बैठकें कीं। उन्होंने उत्तर-पश्चिम दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट और रोहिणी के पुलिस उपायुक्त से भी मुलाकात की, साथ ही संबंधित एसएचओ से भी परामर्श लिया और भगवान महावीर अस्पताल, दिल्ली महिला दिव्यांगता छात्रावास, वन स्टॉप सेंटर (उत्तर जिला) और जिला न्यायालय का दौरा किया। उन्होंने मानव अधिकार स्थिति का आकलन करने के लिए गैर सरकारी संगठनों/नागरिक समाज संगठनों से भी परामर्श किया।

27 से 30 सितंबर 2026 तक, एनएचआरसी के विशेष मॉनिटर, प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी ने मध्य प्रदेश के भोपाल, सांची, उज्जैन, इंदौर और महू का दौरा किया। उन्होंने भोपाल में प्रधानमंत्री श्री केंद्रीय विद्यालय अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय और जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान; सांची में एसबीबीजीएवी; और भोपाल में हमीदिया प्रौद्योगिकी संस्थान, मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, एम्स और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान का दौरा कर विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने इंदौर में प्रधानमंत्री श्री केंद्रीय विद्यालय, आईआईटी और आईआईएम का भी दौरा किया और उज्जैन में मध्य प्रदेश राज्य मुक्त विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय के प्रमुखों और अधिकारियों से मुलाकात की। इन दौरों के दौरान, उन्होंने कुलपतियों, निदेशकों, संस्थागत नेतृत्व, अधिकारियों, संकाय सदस्यों, छात्रों और शोधार्थियों से बातचीत की, छात्रावासों का निरीक्षण किया और संस्थागत सुविधाओं और संबंधित मुद्दों का आकलन करने के लिए विश्वविद्यालय की लैंगिक संवेदनशीलता समिति और अन्य मौजूदा समितियों के साथ चर्चा की।

28 से 30 सितंबर 2026 तक, एनएचआरसी के विशेष मॉनिटर डॉ. प्रदीपता कुमार नायक ने कुष्ठ रोग, दिव्यांगता और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार और देहरादून का दौरा किया। उन्होंने हरिद्वार और देहरादून के जिला मजिस्ट्रेटों/कलेक्टरों, राज्य और जिला स्वास्थ्य एवं कुष्ठ रोग अधिकारियों, मानसिक स्वास्थ्य, समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, आजीविका, महिला एवं बाल विकास और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें कीं। उन्होंने अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, समुदायों और कुष्ठ रोग कॉलोनियों का भी दौरा किया और प्रभावित व्यक्तियों से बातचीत करके स्वास्थ्य एवं कल्याण सेवाओं और लाभों की कवरेज, समावेशन और वितरण का आकलन किया, अंतर-विभागीय समन्वय और समन्वय की समीक्षा की, रिकॉर्ड का क्षेत्र सत्यापन किया और आयोग के कुष्ठ रोग संबंधी परामर्शी और अन्य प्रासंगिक परामर्शियों के अनुपालन का आकलन किया।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

एनएचआरसी,भारत को मानव अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने और उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया है। इस उद्देश्य के लिए, इंटर्नशिप कार्यक्रमों के अलावा, यह विभिन्न संस्थानों के सहयोग से कई क्षमता-निर्माण कार्यक्रम और गतिविधियाँ आयोजित करता रहा है, जिनमें एक्सपोजर विजिट, मूट कोर्ट प्रतियोगिताएं शामिल हैं, ताकि इसकी पहुंच का विस्तार हो सके और विशेष रूप से विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के बीच मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाई जा सके।

ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम

एनएचआरसी, भारत ने विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए दो सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम (ओएसटीआई) 14 से 25 सितंबर 2026 तक मानव अधिकार भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया। एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने एनएचआरसी, भारत के सदस्यों न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि और श्रीमती विजया भारती सयानी, महासचिव श्री पीयूष गोयल, संयुक्त सचिव श्रीमती साईडिंगपुई छाकछुआक और उप सचिव श्रीमती विनीता ओट्टापुराक्कल कल्लाडा की उपस्थिति में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमियों के कुल 95 छात्रों जिनका चयन 1000 से अधिक आवेदकों में से किया गया था, ने इस कार्यक्रम को पूरा किया।

प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने उनसे इंटर्नशिप में शामिल होने के उद्देश्य पर विचार करने का आग्रह किया ताकि वे सीखने के अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकें। उन्होंने कहा कि यदि प्रशिक्षुओं मानव अधिकारों के दृष्टिकोण से समाज को देखना सीखें तो कार्यक्रम अपने उद्देश्य को पूरा कर लेगा। उन्होंने यह देखते हुए कि एक ही समाचार की अलग-अलग व्याख्याएँ हो सकती हैं, ज्ञान और जागरूकता के महत्व पर बल दिया, जो स्थितियों की जानकारीपूर्ण समझ में सहायक

होता है और समाज में सार्थक योगदान देने में मदद करता है।

एनएचआरसी,भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि ने कहा कि प्रशिक्षुओं को जीवन में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए मानव अधिकारों के सार को समझना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुओं के पास ज्ञान तो होता ही है, लेकिन जीवन के हर चरण में मानव अधिकार मूल्यों को सार्थक रूप से लागू करने के लिए अनुभव प्राप्त करना अनिवार्य है।

एनएचआरसी, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। उन्होंने प्रशिक्षुओं से आग्रह किया कि वे कानून की सैद्धांतिक समझ से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर संवेदनशीलता के साथ अवलोकन करें, सुनें, प्रश्न पूछें, विश्लेषण करें और कार्य करें। उन्होंने कहा कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को जीवन में अपनाए जाने वाले मूल्यों में बदलना चाहिए, न कि केवल संविधान की प्रस्तावना में लिखे शब्द बनकर रह जाना चाहिए। उन्होंने प्रशिक्षुओं को कानून और लोगों दोनों से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया।

एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री पीयूष गोयल ने मानव अधिकारों को एक व्यापक और सूक्ष्म क्षेत्र बताया और प्रशिक्षुओं से इसके विविध आयामों को समझने, सामूहिक रूप से काम करने और मानवीय गरिमा को मजबूत करने में योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने प्रशिक्षुओं को सफल और सार्थक इंटर्नशिप की शुभकामनाएं दीं।

एनएचआरसी, भारत की संयुक्त सचिव, श्रीमती साईडिंगपुई छाकछुआक ने दो सप्ताह के कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण दिया, जिसमें विषय विशेषज्ञों के साथ संवादात्मक सत्रों के अलावा, पुलिस स्टेशन और तिहाड़ जेल जैसे स्थानों की आभासी क्षेत्रीय यात्राएं भी शामिल हैं, ताकि उनके कामकाज और चुनौतियों को समझा जा सके।

बाद में, 25 सितंबर 2026 को समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए, एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि ने प्रशिक्षुओं को कार्यक्रम के सफल समापन पर बधाई दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम महज एक यात्रा नहीं बल्कि एक मूल्यवान शिक्षण अनुभव था। प्रशिक्षुओं से अपने प्रयासों को व्यर्थ न जाने देने का आग्रह करते हुए, उन्होंने सीख, अभ्यास और प्रदर्शन के महत्व पर बल दिया और कहा कि मानव अधिकारों के बारे में सीखना जीवन भर जारी रहना चाहिए और प्राप्त ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए और दूसरों के साथ साझा करना चाहिए।

न्यायमूर्ति षडंगि ने प्रशिक्षुओं से अपने दैनिक आचरण में मानव अधिकार मूल्यों का प्रदर्शन करने का आह्वान करते हुए उनसे वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों सहित अन्य लोगों के प्रति सहानुभूति रखने और उनकी आवश्यकताओं का उचित ध्यान रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि युवा होने के नाते, प्रशिक्षुओं से देश और समाज के विकास की अपार अपेक्षाएं हैं।

समापन सत्र में प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए, एनएचआरसी सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने कहा कि इंटर्नशिप का समापन एक अंत नहीं बल्कि एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत है। उन्होंने प्रशिक्षुओं से मानव अधिकारों , संविधान और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि मानव अधिकारों का अर्थ है गरिमा, न्याय, करुणा और एक-दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व, और यह जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए।

मानव अधिकार और देशभक्ति के परस्पर पूरक होने पर जोर देते हुए, श्रीमती सयानी ने प्रशिक्षुओं से संविधान का सम्मान करने, मानवीय गरिमा की रक्षा करने, कमजोरों की सेवा करने और न्याय के लिए खड़े होने का आग्रह किया। वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः का हवाला देते हुए, उन्होंने उनसे अपने समुदायों में मानव अधिकारों के दूत बनने का आह्वान किया और एक मजबूत, अधिक न्यायपूर्ण और मानवीय भारत के निर्माण में योगदान के लिए "ज्ञान, करुणा और सेवा" को मार्गदर्शक सिद्धांत बताया।



▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन ओएसटीआई का उद्घाटन करते हुए



▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि ओएसटीआई के समापन सत्र को संबोधित करते हुए

अपने संबोधन में, एनएचआरसी के महासचिव श्री पीयूष गोयल ने प्रशिक्षुओं को बधाई दी और रोजमर्रा की जिंदगी में मानवीय गरिमा के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अकादमिक ज्ञान तभी सार्थक होता है जब उसे व्यवहार में उतारा जाए। टीम वर्क और संचार कौशल के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि टीम गतिविधियों ने टीम भावना और पारस्परिक कौशल विकसित करने में मदद की। उन्होंने प्रशिक्षुओं से समाज में मानव अधिकारों के व्यावहारिक आयामों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर मानव अधिकारों के वाहक बनने का आग्रह किया।

इससे पहले, एनएचआरसी के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार ने इंटर्नशिप कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने प्रशिक्षुओं को एनएचआरसी सदस्यों, वरिष्ठ एनएचआरसी अधिकारियों, प्रख्यात विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, कोर ग्रुप सदस्यों और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करने के अवसर प्रदान किए जाने पर प्रकाश डाला। उन्होंने पुस्तक समीक्षा, समूह शोध परियोजना प्रस्तुति और भाषण प्रतियोगिता सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं की घोषणा भी की।



▶ प्रशिक्षुओं का एक समूह

सहयोगात्मक कार्यक्रम

एनएचआरसी, भारत को मानव अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने और उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया है। इस उद्देश्य के लिए, इंटर्नशिप कार्यक्रमों के अलावा, यह विभिन्न संस्थानों के सहयोग से कई क्षमता निर्माण कार्यक्रम और गतिविधियाँ आयोजित करता रहा है, जिनमें ज्ञानर्जन दौरे, मूट कोर्ट प्रतियोगिताएं शामिल हैं, ताकि इसकी पहुंच का विस्तार हो सके और विशेष रूप से विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के बीच मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाई जा सके।

सितंबर 2026 के महीने में निम्नलिखित सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

- 9 सितंबर 2026 को, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश के विधि अध्ययन संस्थान ने 'मानव अधिकार ' विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। एनएचआरसी, भारत की प्रस्तुतकर्ता अधिकारी श्री अंजनी अनुज ने उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।



- 10 सितंबर 2026 को, एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु ने 'किशोर अपराधियों के मानव अधिकार , भाषा और मनोवैज्ञानिक कल्याण: जागरूकता और पुनर्वास' विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। एनएचआरसी, भारत की प्रस्तुतकर्ता अधिकारी श्री अंजनी अनुज ने उद्घाटन सत्र को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।

- 11 सितंबर 2026 को स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी, देहरादून, उत्तराखंड ने 'जल और स्वच्छता का अधिकार: हिमालयी क्षेत्र में सुजलाम और सतत जल शासन के लिए युवाओं को शामिल करना' विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया। एनएचआरसी, भारत की महानिदेशक (अन्वेषण) डॉ. अनुपमा नीलेकर चंद्र ने मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन सत्र को ऑनलाइन संबोधित किया।

- 25-26 सितंबर 2026 को, जेएमजे कॉलेज फॉर विमेन (स्वायत्त) ने 'महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को मानव अधिकार के रूप में सुनिश्चित करना: चुनौतियाँ और

हस्तक्षेप' विषय पर दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया। एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने मुख्य अतिथि के रूप में समापन सत्र को ऑनलाइन संबोधित किया।

- 30 सितंबर 2026 को, सेंट जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ऑटोनॉमस, मुंबई, महाराष्ट्र ने 'मानव अधिकार : हमारे दैनिक जीवन से जुड़ाव' विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। एनएचआरसी, भारत की संयुक्त सचिव श्रीमती साईडिंगपुई छकछुआक ने कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।

- 30 सितंबर 2026 को, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, कुड्डालोर, तमिलनाडु ने 'मानव अधिकार - मानव अधिकारों का परिचय: अवधारणाएं और विकास, संवैधानिक प्रावधान और भारत में मानव अधिकार (लैंगिक समानता और महिला एवं बाल अधिकार एवं संरक्षण तंत्र), मानव अधिकार और डिजिटल निजता)' विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। एनएचआरसी, भारत की प्रस्तुतकर्ता अधिकारी श्रीमती नीरू कंबोज ने मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।





ज्ञानार्जन दौरे

कॉलेज स्तर के छात्रों और उनके शिक्षकों के बीच मानव अधिकार जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, एनएचआरसी, भारत उन्हें आयोग का दौरा करने के लिए आमंत्रित करता है ताकि वे मानव अधिकार संरक्षण तंत्र और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुसार इसकी कार्यप्रणाली से अवगत हो सकें। उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जानकारी दी जाती है। सितंबर 2026 में निम्नलिखित संस्थानों ने एनएचआरसी का दौरा किया।



▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन एवं उप सचिव श्रीमती विनीता ओट्टापुरक्कल कल्लाडा, जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी के भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के चार परिवीक्षाधीन अधिकारियों के एक बैच के साथ

- जेजेआर आरपीएफ अकादमी से आईआरपीएफएस के 4 परिवीक्षाधीन छात्रों का एक बैच।

- आईआईएलएम विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा के 28 छात्रों और 2 संकाय सदस्यों का एक बैच



- डीएएनआईपीएस के 8 अधिकारियों का एक बैच।



- उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ लॉ के 40 छात्रों और 7 संकाय सदस्यों का एक बैच।



- पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्थित श्री रामकृष्ण विवेकानंद मिशन कॉलेज ऑफ ज्यूरिडिकल स्टडीज के 150 छात्रों और 7 संकाय सदस्यों का एक बैच।



- आईएमएस लॉ कॉलेज, नोएडा के 45 छात्रों और 3 संकाय सदस्यों का एक बैच।

अन्य प्रशिक्षण

- 9 सितंबर 2026 को, आयोग ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लैंगिक संवेदनशीलता कार्यक्रम के दौरान 'चेकलिस्ट से परे: व्यवहार में पॉश विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। एनएचआरसी, भारत में महिला एवं दिव्यांगता मामलों की विशेष मॉनिटर सुश्री पूर्वा जी मित्तल ने सत्र को संबोधित किया।





- 29 सितंबर 2026 को आयोग ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 'कार्यालय प्रक्रियाओं की नियमावली' पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। यूपीएससी के पूर्व संयुक्त सचिव श्री अरुण गौर ने व्याख्यान दिया।



अंतरराष्ट्रीय मंच पर एनएचआरसी, भारत

एनएचआरसी, भारत मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों और पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। इन प्रयासों के तहत, विभिन्न देशों के संस्थागत प्रतिनिधिमंडल नियमित रूप से आयोग का दौरा करते हैं और इसके अध्यक्ष, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करते हैं ताकि मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए आयोग के जनादेश, कार्यप्रणाली और पहलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी आयोग के अनुभवों और उपलब्धियों को साझा करने, अन्य राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) के साथ सहयोग को मजबूत करने और तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक परिदृश्य में उभरती मानव अधिकार चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों और कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं।

ऑनलाइन सहभागिताएँ

- 31 अगस्त से 2 सितंबर 2026 तक, एनएचआरसी, भारत की वरिष्ठ अनुसंधान परामर्शदाता सुश्री वर्षा आप्टे और अनुसंधान परामर्शदाता सुश्री वैदेही रस्तोगी ने बाल अधिकारों पर सम्मेलन के एक वैकल्पिक प्रोटोकॉल पर प्रारंभिक बचपन शिक्षा, मुफ्त पूर्व-प्राथमिक शिक्षा और मुफ्त माध्यमिक शिक्षा के अधिकारों से संबंधित ऑनलाइन ओपन इंटर गर्वनमेंट कार्य समूह में भाग लिया।

- 9 सितंबर 2026 को, एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार और अनुसंधान परामर्शदाता सुश्री प्रेरणा हसीजा ने व्यापार और मानव अधिकार पर गनहरी कार्य समूह में भाग लिया।

राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार

मानव जीवन के निरंतर विस्तार और उससे जुड़ी चुनौतियों के विकास को देखते हुए, मानव अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण एक सतत और गतिशील प्रक्रिया बनी हुई है। भारत में, लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें एक व्यापक कार्यकारी ढांचे के माध्यम से जनता के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह प्रतिबद्धता विधायिका और न्यायपालिका सहित सशक्त लोकतांत्रिक संस्थानों और एक जीवंत एवं सतर्क मीडिया द्वारा और भी मजबूत होती है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) देश भर में मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य स्तरीय निकायों के सहयोग से कई राष्ट्रीय आयोग क्षेत्रीय स्तर पर समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। ये सभी संस्थाएँ मिलकर महत्वपूर्ण प्रहरी के रूप में कार्य करती हैं, जो जवाबदेही, न्याय और समावेशी कल्याणकारी उपायों को सुनिश्चित करती हैं। यह लेख मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और समाज में गरिमा, न्याय और समानता की संस्कृति को मजबूत करने के लिए विभिन्न एसएचआरसी द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलों पर प्रकाश डालता है।

पंजाब राज्य एवं चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र) मानव अधिकार आयोग

9 सितंबर 2026 को, केन्या के शिक्षा मंत्रालय और तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकास, मूल्यांकन एवं प्रमाणन परिषद (टीवीईटी सीडीएसीसी) के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब राज्य और चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र) मानव अधिकार आयोग (पीएसएचआरसी) का दौरा किया ताकि मानव अधिकारों को शिक्षा, युवा कौशल विकास, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण से जोड़ने के संबंध में भारत के अनुभव को समझा जा सके। प्रो. किसिलु किटांग के नेतृत्व में, टीवीईटी सीडीएसीसी के सीईओ, प्रतिनिधिमंडल में अनुसंधान, मूल्यांकन और प्रमाणन, वित्त और योजना विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। अपग्रेड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की अफ्रीका परियोजना निदेशक सुश्री दिशा राणा जसवाल भी प्रतिनिधिमंडल के साथ थीं।

इस संवाद में व्यावसायिक शिक्षा के लिए मानव अधिकार -आधारित दृष्टिकोण, समान अवसर, डिजिटल समावेशन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदार उपयोग जैसे विषयों पर चर्चा हुई। पीएसएचआरसी ने प्रतिनिधिमंडल को अपने कार्यक्षेत्र के बारे में जानकारी दी, जिसमें शिकायतें, अनुसंधान, प्रशिक्षण, मानव अधिकार शिक्षा, जागरूकता और संस्थागत संपर्क शामिल हैं।

अध्यक्ष न्यायमूर्ति संत प्रकाश ने शिक्षा और कौशल विकास में समानता, गरिमा और गैर-भेदभाव पर जोर दिया और NEET शुल्क संबंधी मुद्दों और दृष्टिबाधित छात्रों के स्कूलों के संबंध में पीएसएचआरसी के हस्तक्षेपों का उल्लेख किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि समानता के लिए वंचित व्यक्तियों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करना भी आवश्यक है और उन्होंने प्रौद्योगिकी और AI द्वारा



एक नए डिजिटल विभाजन को जन्म देने के प्रति आगाह किया। सदस्य न्यायमूर्ति गुरबीर सिंह ने AI और स्वचालित निर्णय लेने में निष्पक्षता, जवाबदेही, मानवीय निगरानी, पारदर्शिता और निजता पर चर्चा की। सदस्य पद्म श्री जितेंद्र सिंह शुंटी ने जमीनी स्तर पर मानव अधिकार जागरूकता, युवा भागीदारी, सहानुभूति, सामाजिक जिम्मेदारी और जिम्मेदार डिजिटल नागरिकता पर प्रकाश डाला।

22 सितंबर 2026 को पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के मानव अधिकार एवं कर्तव्य विभाग के 40 छात्रों ने पीएसएचआरसी का दौरा किया। उन्हें मानव अधिकार उल्लंघनों से निपटने के लिए आयोग की भूमिका, जिम्मेदारियों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई। न्यायमूर्ति संत प्रकाश ने छात्रों से बातचीत की, अपने अनुभव साझा किए और उन्हें मानव अधिकार क्षेत्र में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया।

मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग

7 सितंबर 2026 को मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग (एमपीएसएचआरसी) के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ. अवधेश प्रताप सिंह ने दतिया जिला अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर और एसएनसीयू का निरीक्षण किया और चिकित्सा सुविधाओं एवं स्वच्छता की समीक्षा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गरिमा और स्वास्थ्य सेवा मौलिक अधिकार हैं। उन्होंने अधिकारियों से समय पर उपचार सुनिश्चित करने और योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने का आग्रह किया।

13 सितंबर 2026 को आयोग ने भोपाल में अपना 32वां स्थापना दिवस मनाया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। जनजातीय मामलों के विभाग के मंत्री श्री कुंवर विजय शाह भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के मानव अधिकारों की रक्षा करना और योजनाओं की सुलभता सुनिश्चित करना था। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मियों को मिशन कर्मयोगी पुरस्कार प्रदान किए गए।



प्रतिज्ञा समाज सेवा कल्याण समिति के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों ने 23 सितंबर 2026 को आयोग का दौरा किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं और आयोग के कामकाज के बारे में जागरूक किया।

मध्य मानव अधिकार आयोग (एमपीएसएचआरसी) ने इंदौर केंद्रीय जेल और

मंधाता पुलिस स्टेशन में हिरासत में हुई तीन मौतों के मामलों में परिजनों को 5 लाख रुपये की राहत राशि देने की सिफारिश की और जेलों में सीसीटीवी निगरानी और मनोवैज्ञानिक देखभाल की व्यवस्था करने का आह्वान किया। आयोग ने मानव अधिकार उल्लंघन के 30 मामलों में 2 करोड़ रुपये से अधिक की राहत राशि की सिफारिश की।

हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग

हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने सितंबर 2026 के दौरान मानव अधिकारों से संबंधित कई चिंताओं का समाधान किया, जिनमें सोनीपत के गोहाना स्थित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपर्याप्त कक्षा स्थान, वेंटिलेशन, खेल का मैदान और खेल सुविधाएं और फरीदाबाद के एक स्कूल की तीसरी मंजिल की छत से कथित तौर पर गिरने से 16 वर्षीय कक्षा 11वीं के छात्र की मौत शामिल है, जिसमें स्कूल प्रशासन द्वारा शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न के आरोप भी लगे थे।

आयोग ने गुरुग्राम में अवैध रूप से संचालित पेइंग गेस्ट आवासों और गेस्ट हाउसों, बार-बार होने वाले जलभराव और यातायात व्यवधान, और फरीदाबाद में लगभग 500 परिवारों को 20 वर्षों से अधिक समय से सार्वजनिक जल आपूर्ति से वंचित रखे जाने का भी आकलन किया।

इसमें धारूहेरा, रेवाड़ी में एनएच-48 पर ओवरलोडेड वाहनों, गलत साइड ड्राइविंग और ट्रैफिक जाम पर एक रिपोर्ट भी मांगी गई थी।

आयोग ने धारूहेरा पीएचसी में लापरवाही के कारण एक महिला और उसके नवजात शिशु की मृत्यु की जांच की। इसने कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आग्रह किया, सिविल सर्जन के माध्यम से परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया और स्वास्थ्य विभाग से मेडिकल बोर्ड के निर्णयों के लिए अपील प्रणाली बनाने को कहा।

एचएसएचआरसी ने मानव अधिकार जागरूकता पहलों, संकट के दौरान मानव अधिकारों की रक्षा पर एक बहस, मिशन वात्सल्य के तहत बाल संरक्षण प्रशिक्षण और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और निवारण पर कार्यक्रमों में भी भाग लिया।

तेलंगाना राज्य मानव अधिकार आयोग

सितंबर 2026 में, तेलंगाना राज्य मानव अधिकार आयोग (टीजीएसएचआरसी) ने वारंगल सरकारी क्षेत्र अस्पताल में एक शव पर कथित तौर पर चूहों के काटने के निशान, भद्राद्री कोठागुडेम में अंधविश्वास के आधार पर एक बुजुर्ग महिला को शारीरिक यातना देने और आदिलाबाद के आरआईएमएस में आग लगने से तीन नवजात शिशुओं की मौत का स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने हाफिजपेट रेलवे स्टेशन के पास एक पुलिस होम गार्ड द्वारा एक महिला पर कथित हमले और नालगोंडा में निषेध और उत्पाद शुल्क कर्मियों द्वारा एक युवक पर कथित हमले की रिपोर्ट भी मांगी। इसके अतिरिक्त, आयोग ने मेडक में आवारा कुत्ते के हमले में मारे गए एक बच्चे के माता-पिता को 5 लाख रुपये की राहत राशि देने की सिफारिश की।

हिमाचल प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग

हिमाचल प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग (एचपीएसएचआरसी) ने मानव अधिकार उल्लंघन के 37 मामले दर्ज किए, 48 मामलों का निपटारा किया और पीड़ितों या उनके परिजनों को राहत के रूप में 4 लाख रुपये देने की सिफारिश की।

संक्षेप में समाचार

- एनएचआरसी, भारत ने 14 से 28 सितंबर 2026 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया और अपने कर्मचारियों के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया ताकि उनके दैनिक कामकाज में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

- 20 सितंबर 2026 को, एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि ने ओडिशा के कटक में पूर्णिमा फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। यह कार्यक्रम भारत रत्न सर एम. विश्वेश्वरैया, जो एक प्रसिद्ध अभियंता, प्रशासक, राजनेता और आधुनिक भारत के निर्माता थे, की स्मृति में अभियंता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। उन्होंने ओडिशा राज्य समुद्री संग्रहालय, जोबरा में पूर्णिमा फाउंडेशन द्वारा आयोजित अभियंता दिवस कार्यक्रम में भी भाग लिया, जो भारत रत्न सर एम. विश्वेश्वरैया की स्मृति में था।

- उन्होंने युवा इंजीनियरों को जिज्ञासु बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया और उनसे स्थापित पद्धतियों की अन्वेषण करने और बेहतर समाधान खोजने से न डरने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान पीढ़ी के इंजीनियर को केवल तकनीकी दक्षता से परिभाषित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि तकनीकी विशेषज्ञता के साथ-साथ ईमानदारी, जिम्मेदारी, अनुशासन और पेशेवर निर्णयों के सामाजिक परिणामों की समझ भी होनी चाहिए।

- न्यायमूर्ति षडंगि ने सतत विकास, जल प्रबंधन, ऊर्जा सुरक्षा, शहरीकरण, परिवहन, पर्यावरण संरक्षण और डिजिटल परिवर्तन के लिए नवोन्मेषी दृष्टिकोणों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आगे कहा कि देश को ऐसी प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता है जो न केवल उन्नत हों बल्कि सस्ती, सुलभ और लोगों की जरूरतों के अनुरूप भी हों।

- 23 सितंबर 2026 को, एनएचआरसी,भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने भुवनेश्वर स्थित एएसबीएम विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत





समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने छात्रों को उनकी पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी करने पर बधाई दी और उनसे समाज की भलाई के लिए अपने ज्ञान का सर्वोत्तम उपयोग करने का आग्रह किया।

- 23 सितंबर 2026 को, एनएचआरसी, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने तमिलनाडु के चेन्नई में डॉ. बी.आर. अंबेडकर एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित अतंरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने डॉ. बी.आर. अंबेडकर की शिक्षाओं को याद किया, जिन्होंने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि न्यायपालिका लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

- सदस्य ने कहा कि एनएचआरसी, भारत समाज के कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और मानवीय गरिमा की रक्षा में संरक्षक, रक्षक, मॉनीटर, सलाहकार और शिक्षक के रूप में कार्य करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक नैतिकता, सहिष्णुता, बहुलवाद और दूसरों के अधिकारों का सम्मान लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक हैं।

- 26 सितंबर 2026 को, एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि ने हरियाणा के गुरुग्राम स्थित आईआईएलएम विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित प्रथम आईआईएलएम ट्रायल एडवोकेसी प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने उभरते वकीलों में समर्थन कौशल, कानूनी तर्क, न्यायालय शिष्टाचार और व्यावसायिक दक्षता विकसित करने में ट्रायल एडवोकेसी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रतियोगिता के विषय, 'घरेलू हिंसा और आत्महत्या के लिए उकसाना: आपराधिक दायित्व, पीड़ित संरक्षण और संवैधानिक सुरक्षा उपायों का अंतर्संबंध' पर भी विचार-विमर्श किया और आपराधिक दायित्व, पीड़ितों के संरक्षण और प्रत्येक व्यक्ति को गारंटीकृत संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।

आगामी कार्यक्रम

19 और 20 नवंबर, 2026	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत द्वारा कर्नाटक में दो दिवसीय जनसुनवाई एवं शिविर बैठक का आयोजन किया जाएगा।

सितंबर 2026 में प्राप्त शिकायतें

प्राप्त नई शिकायतों की संख्या	6,411
निपटाए गए मामलों की संख्या, जिनमें पुराने मामले भी शामिल हैं	5,121
आयोग द्वारा विचाराधीन मामलों की संख्या	40,399

एनएचआरसी, भारत के 33 वर्षों का संक्षिप्त विवरण



एनएचआरसी, भारत 12 अक्टूबर 2026 को विज्ञान भवन में अपना 33वां स्थापना दिवस मनाएगा। 12 अक्टूबर 1993 को अपनी स्थापना के बाद से 33 वर्षों की यात्रा के दौरान, एनएचआरसी, भारतने कानून प्रवर्तन, अन्वेषण और कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नीतिगत सुधारों, जन-केंद्रित शासन और कार्यान्वयन तथा जमीनी स्तर पर नियमित निगरानी की सिफारिश की है।

आयोग अनुसंधान, नीतिगत समर्थन और जन जागरूकता के माध्यम से पुलिस जवाबदेही, जेल सुधार, अभियुक्तों और पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा को बढ़ावा देता है। यह केंद्र और राज्य सरकारों, अर्ध-सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और मानव अधिकार रक्षकों के साथ मिलकर समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से सबसे कमजोर वर्गों के मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए निरंतर सहयोग करता है।

एनएचआरसी, भारत ने अब तक 35 परामर्शी जारी किए हैं। इनमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करना (2.0), बाल यौन शोषण सामग्री (सैम), विधवाओं के अधिकार, भीख मांगने में लगे लोगों के अधिकार, भोजन का अधिकार, स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार, अनौपचारिक श्रमिकों के अधिकार, मृतकों की गरिमा का सम्मान, ट्रक चालकों के अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए परामर्श, कैदियों द्वारा जानबूझकर आत्महानि और आत्महत्या के प्रयासों को कम करने के लिए परामर्शी और नेत्र आघात की रोकथाम, न्यूनतमकरण और निवारण के लिए परामर्श शामिल हैं। आयोग के अन्य महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों में हेंसन रोग से पीड़ित व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने वाले 97 कानूनों में संशोधन की सिफारिश करना शामिल है।

पिछले 33 वर्षों में, आयोग ने 3,100 स्वतः संज्ञान मामलों सहित 24,33,716 मामलों का निपटारा किया है। इसने मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को 9,085 मामलों में 274 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता की सिफारिश की है। इन मामलों में 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक पिछले वर्ष के दौरान दर्ज की गई 54,673 शिकायतें और 119 स्वतः संज्ञान मामले शामिल हैं। इस अवधि के दौरान, आयोग ने 80 मौके पर जांच की; 53,733 मामलों का निपटारा किया और मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को 157 मामलों में 9.7 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता की सिफारिश की।

आयोग ने गुजरात और बिहार में दो 'जन सुनवाई और शिविर बैठकें' भी आयोजित कीं। शिविर बैठकों का उद्देश्य मानव अधिकार उल्लंघन के कथित मामलों की सुनवाई करना, न्याय प्रक्रिया को तेज करना और पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाना है। साथ ही, इनका उद्देश्य राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को पीड़ितों को शीघ्र राहत दिलाने के लिए आयोग को समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के महत्व के प्रति जागरूक करना भी है। इन बैठकों के माध्यम से स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संगठनों और मानव अधिकार रक्षकों के साथ संवाद स्थापित किया गया।

आयोग के 18 विशेष प्रतिवेदक और 15 विशेष मॉनीटर्स की मदद से आयोग देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानव अधिकार स्थितियों का आकलन करता है। ये प्रतिनिधि आश्रय गृहों, कारागारों, निगरानी गृहों और इसी प्रकार के संस्थानों का दौरा करते हैं और आयोग के लिए रिपोर्ट तैयार करते हैं जिनमें उनके अवलोकन और भविष्य की कार्रवाई के लिए सुझाव शामिल होते हैं।

देश में मानव अधिकार तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों के तहत, आयोग ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सात सम्मानित सदस्यों की एक वैधानिक पूर्ण आयोग बैठक का आयोजन किया, जिसमें छह राष्ट्रीय आयोग और दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त शामिल थे। पिछले वर्ष आयोग ने विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनिटर्स के साथ राज्य मानव अधिकार आयोगों का एक सम्मेलन भी आयोजित किया था।

विभिन्न हितधारकों से परामर्श करना आयोग के कामकाज का अभिन्न अंग है। पिछले वर्ष, इसने 'दैनिक आवश्यकताओं की सुनिश्चितता: सभी के लिए सार्वजनिक सेवा और गरिमा' और 'कैदियों के मानव अधिकार ' सहित दो राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत में मानव अधिकार से संबंधित विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों, गैर सरकारी संगठनों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से मिलकर बने 12 कोर ग्रुप हैं, जो सरकारी योजनाओं पर चर्चा करते हैं, उनका मूल्यांकन करने में सहायता करते हैं और उनमें सुधार के लिए सिफारिशें करते हैं।

पिछले वर्ष चार कोर ग्रुप बैठकें आयोजित की गईं। ये बैठकें 'दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के प्रमाणपत्रों के पुनर्सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न मानव अधिकार उल्लंघन', 'भारत मंउ खाद्य मिलावट से

निपटना: इसके पैमाने, चुनौतियों और सुधारों को समझना', 'प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा: सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी' और 'शहरी क्षेत्रों में लू और इसके निवारण' विषयों पर थीं।

इसके अतिरिक्त, 'भीख मांगने पर पुनर्विचार: नीति, व्यवहार और गरिमा के बीच की खाई को पाटना', 'बच्चों द्वारा सोशल मीडिया तक पहुंच', 'भारत में नकली दवाओं पर अंकुश लगाने के उपाय' और 'डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों के खिलाफ मानव अधिकारों की सुरक्षा' विषयों पर चार 'ओपन हाउस' आयोजित की गईं।

आयोग मानव अधिकारों के विविध पहलुओं पर अनुसंधान को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। पिछले एक वर्ष में छह अनुसंधान अध्ययन पूरे किए गए हैं। इन अध्ययनों में वन अधिकार, वृद्धाश्रमों की स्थिति, गोद लेने की प्रक्रिया, मानव तस्करी, दिव्यांगजनोंकी शिक्षा और गैर-लकड़ी वन उत्पादों के व्यावसायीकरण सहित कई विषयों को शामिल किया गया है।

पिछले वर्ष छह नए अनुसंधान अध्ययन शुरू किए गए। ये अध्ययन कारावास में बंद माता-पिता के बच्चों के अधिकारों और कल्याण; स्वच्छता, मानव सुरक्षा और मानव अधिकार ; यौनकर्मियों के मानव अधिकारों की प्राप्ति में कानूनी, आर्थिक और सामाजिक बाधाएं; बुजुर्ग महिलाओं के खिलाफ हिंसा; शहरी झुग्गी बस्तियों की लू से प्रभावित होने की संभावना और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता वाले तस्करी पीड़ितों के पुनर्वास संबंधी आवश्यकताओं पर केंद्रित हैं।

क्षमता निर्माण प्रयासों के अंतर्गत, आयोग अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) की विभिन्न राष्ट्रीय अकादमियों के साथ साझेदारी में अनुकूलित प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित कर रहा है। इन पहलों के माध्यम से, आयोग युवा अधिकारियों को मानव अधिकारों और इसके विभिन्न आयामों के बारे में अत्याधुनिक स्तर पर जागरूक करता है। इस प्रकार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सेवा के प्रारंभिक चरण में ही अधिकारियों के बीच मानव अधिकार जागरूकता और संवेदनशीलता को मजबूत करना चाहता है ताकि इसका स्थायी प्रभाव हो सके।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मानव अधिकार जागरूकता कार्यक्रमों के संचालन के लिए विभिन्न संस्थानों के साथ सहयोग किया है। पिछले एक वर्ष में, इसने विभिन्न संस्थानों को 136 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए 66 सहयोगात्मक सम्मेलन, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा 10 मूट कोर्ट प्रतियोगिताएं आयोजित कीं। इसके अतिरिक्त, आयोग ने शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ऑन-साइट इंटर्नशिप और 6 ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप (ओएसटीआई) का आयोजन किया, जिसमें 687 छात्रों को मानव अधिकारों का ज्ञान प्रदान किया गया।

ओएसटीआई ने दूरस्थ क्षेत्रों से सैकड़ों विश्वविद्यालय स्तरीय छात्रों को मानव अधिकार राजदूत बनने के लिए प्रशिक्षित किया है। आयोग कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों को अपने परिसरों में भ्रमण के लिए भी प्रोत्साहित करता है, जिससे उन्हें मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने में आयोग की भूमिका की प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। पिछले वर्ष, 55 संस्थानों के 2,263 छात्रों, शिक्षकों और अधिकारियों ने ऐसे भ्रमण में भाग लिया। श्रीलंका के आईआरपीएफएस, डीएएनआईपीएस और सिविल सेवकों सहित विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों के लिए छह विशेष मानव अधिकार प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए गए। इसके अलावा, आयोग सुरक्षा कर्मियों के मानव अधिकार संवेदन के लिए अपनी वार्षिक गतिविधियों के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए वार्षिक वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करता रहा है।

एनएचआरसी, भारत अपने अध्यक्ष, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी के माध्यम से एशिया प्रशांत राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान मंच सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार मंचों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार क्षमताओं के निर्माण के लिए अथक प्रयास कर रहा है। विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में वैश्विक दक्षिण के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) को मजबूत करने के लिए चलाए जा रहे आईटीईसी क्षमता निर्माण और अनुभव साझाकरण कार्यक्रमों को उल्लेखनीय प्रतिसाद प्राप्त हुआ है।

अब तक आयोग ने पांच क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें से एक इस वर्ष सितंबर में आयोजित किया गया था। इन कार्यक्रमों में अफ्रीका, पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत क्षेत्र के 46 देशों के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरसी) के 149 वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम मानव अधिकारों पर वैश्विक संवाद को मजबूत करने, दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने और अधिकार-आधारित शासन को प्रोत्साहित करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण में नागरिक समाज के साथ सीधे तौर पर जुड़ने के लिए आयोग के प्रयासों को, मानव अधिकार फोटोग्राफी, प्रश्नोत्तरी और लघु फिल्म प्रतियोगिताओं जैसे आयोजनों के माध्यम से, जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। मानव अधिकारों पर इसकी लघु फिल्म प्रतियोगिता में पिछले वर्ष देश भर से रिकॉर्ड 526 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं, जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में थीं और इनमें मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर अंग्रेजी उपशीर्षक भी थे।

आयोग मासिक न्यूज़लेटर के अलावा विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से मानव अधिकार जागरूकता का विस्तार भी कर रहा है। पिछले वर्ष, इसने दो नए प्रकाशन जारी किए, जिनमें अंग्रेजी में वार्षिक 'जर्नल' और हिंदी में 'मानव अधिकार: नई दिशाएं' शामिल हैं, जिनमें विभिन्न विषयगत मुद्दों पर शोध-आधारित लेखों का संग्रह है।

इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए कई पहलें की गई हैं, जिनमें इसके एचआरसीनेट पोर्टल को सभी राज्य प्राधिकरणों और अधिकांश राज्य मानव अधिकार आयोगों से जोड़ना शामिल है। कोई भी व्यक्ति सीधे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है और आयोग के पोर्टल पर अपनी शिकायत की वास्तविक स्थिति देख सकता है। पिछले वर्ष लॉन्च किया गया एनएचआरसी, भारत मोबाइल ऐप, इस सुविधा को और भी बेहतर बनाता है, साथ ही आयोग की गतिविधियों और जनता के बीच मानव अधिकार जागरूकता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों के बारे में अपडेट भी प्रदान करता है।

ख़बरों में मानव अधिकार एवं एनएचआरसी



सर्वे भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

शिकायत दर्ज करने के लिए एनएचआरसी के महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर

टोल फ्री नंबर: 14433 (सुविधा केंद्र) फैक्स नंबर: 011-2465 1332

ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने के लिए: www.nhrc.nic.in, hrcnet.nic.in,

सामान्य सेवा केंद्र ईमेल: complaint.nhrc@nic.in (शिकायतों के लिए), cr.nhrc@nic.in (सामान्य प्रश्नों/पत्राचार के लिए)

मानव अधिकार संरक्षकों के लिए फोकल पॉइंट:

इंद्रजीत कुमार, उप रजिस्ट्रार (विधि)

मोबाइल नंबर +91 99993 93570 • फैक्स नंबर 011-2465 1334 • ई-मेल: hrd-nhrc@nic.in

प्रकाशक एवं मुद्रक: महासचिव, एनएचआरसी

विबा प्रेस प्राइवेट लिमिटेड में मुद्रित, सी-66/3, ओखला इंडस्ट्रीयल क्षेत्र, चरण- II, नई दिल्ली-110020 और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से प्रकाशित

मानव अधिकार भवन, ब्लॉक-सी, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023

हिंदी संस्करण : अनूदित : हिंदी अनुभाग : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

covdnhrc@nic.in www.nhrc.nic.in @India_NHRC

RNI No. 61957/95